L. C. BILL No. VI OF 2021.

A BILL

AN ACT TO ESTABLISH AND INCORPORATE THE MAHARASHTRA BOARD OF SKILLS, VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING TO REGULATE MATTERS PERTAINING TO SKILLS, VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AS PER THE NATIONAL SKILL QUALIFICATION FRAMEWORK AND OTHER SKILLS COURSES IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR OTHER MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ६ सन् २०२१।

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचे तथा अन्य कौशल पाठ्यक्रमों के अनुसार कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा उद्यमीता शिक्षा से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये महाराष्ट्र कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित तथा निर्गमित करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ांचे तथा अन्य कौशल पाठ्यक्रमों के अनुसार कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा उद्यमीता शिक्षा से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए तथा

तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए, महाराष्ट्र कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " संबद्ध संस्था" का तात्पर्य, कोई संस्था जिसे बोर्ड द्वारा संबद्धता की मंजूरी मिल गई है ;

(ख) " शिक्षुता" का तात्पर्य, शिक्षुता की संविदा के अनुसरण में की गई और शिक्षुता के विभिन्न प्रवर्गो के लिए जिसे विभिन्न किया जाए ऐसे शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन किसी उद्योग या संस्थापना में प्रशिक्षण का क्रम, से है ;

(ग) " बोर्ड" का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड, से है ;

(घ) " उप-विधियाँ " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी बोर्ड की उप-विधीयों, से है ;

(ङ) " केंद्र सरकार " का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(छ) " श्रेयांक संरचना " का तात्पर्य, छात्रों को अपनी कार्यभूमिका सफलतापूर्वक तथा निपुणता से या सीधे तथा दिशांत गतिशिलता से पूरा करने के लिए सक्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, कौशल तथा अध्ययन श्रेयांक के मापदंड ईकाई पर आधारित बोर्ड द्वारा विकसित संरचना से है ;

(च) " समितीयों " का तात्पर्य, धारा २० के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या गठित बोर्ड की समितीयों, से है ;

(ज) " निदेशक " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ७ की उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड के निदेशक, से है ;

(झ) " विद्यमान बोर्ड " का तात्पर्य, सरकार द्वारा गठित महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड, से है ;

(ञ) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से है ;

(ट) " शासी परिषद " का तात्पर्य, धारा ९ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड की शासी परिषद, से है ;

(ठ) " संस्था के प्रमुख " या प्रधानाचार्य का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड चाहे किसी भी नाम से पदाभिहित हो द्वारा संबद्ध और मान्यताप्राप्त संस्था के प्रमुख, से है ;

(ड) " संस्था " का तात्पर्य, प्रमाणपत्र या डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा संबद्ध और मान्यताप्राप्त किसी संस्था, से है ;

(ढ) " महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद " का तात्पर्य, सरकार द्वारा गठित महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से है ;

(ण) " व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद " का तात्पर्य, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद, से है ;

(त) " राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक " का तात्पर्य, क्षेत्र कौशल परिषद या, यथास्थिति, राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति द्वारा विनिर्णित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों, से है ;

सन् १८६० का २१।

(थ) " राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण " का तात्पर्य, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, से है ;

सन् २०१३ का १८।

(द) " राष्ट्रीय कौशल विकास निगम " का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी, से है ;

(ध) " राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति " का तात्पर्य, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कामकाज विभाग) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति, से है ;

(न) " राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचा " का तात्पर्य, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कामकाज विभाग) द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचे, से है ;

(प) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित, से है ;

(फ) " विनियमन " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों, से है ;

अध्याय दो

बोर्ड और शासी परिषद की स्थापना और गठन।

बोर्ड की स्थापना।

३. सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, " महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण बोर्ड " नामक बोर्ड स्थापित करेगी।

बोर्ड का निगमन।

४. (१) धारा ३ के अधीन स्थापित बोर्ड शाश्वात उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रावाला निगम निकाय होगा और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन करने, धारण करने तथा व्ययन करने और संविदा करने का अधिकार होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किये जाने के लिए आवश्यक समस्त कार्य करेगा तथा अपने निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(२) बोर्ड का मुख्यालय, मुंबई में होगा तथा जिलों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय महाराष्ट्र राज्य के जिला व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यालय होगा।

बोर्ड का गठन।

५. (१) बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्—

(क) महाराष्ट्र कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड के निदेशक, — अध्यक्ष ;

(ख) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक के नामनिर्देशिती जो संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी के न हो, — **पदेन** सदस्य ;

(ग) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, या उसका नामनिर्देशिती, जो प्रभागीय बोर्ड के अध्यक्ष से अनिम्न श्रेणी का न हो, — **पदेन** सदस्य ;

(घ) महाराष्ट्र राज्य उद्योग निदेशक या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त निदेशक के अनिम्न श्रेणी का न हो, — **पदेन** सदस्य ;

(ङ) कौशल विकास, रोजगार तथा उद्यमीता विभाग के सरकार के संयुक्त सचिव या उप-सचिव, — **पदेन** सदस्य ;

(च) उपायुक्त, कौशल विकास, नियोजन और उद्यमीता, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई, — **पदेन** सदस्य ;

(छ) प्रादेशिक निदेशक, कौशल विकास और उद्यमीता प्रादेशिक निदेशालय, भारत सरकार, मुंबई, — **पदेन** सदस्य ;

(ज) निदेशक, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (पश्चिम क्षेत्र) भारत सरकार, मुंबई, **पदेन** सदस्य ;

(झ) सरकार द्वारा उद्योग सहयोजन से नामनिर्देशित किए जानेवाले दो सदस्य, सदस्य ;

(ञ) संस्था के प्रमुखों में से सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले तीन सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी, सदस्य ;

(ट) व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीता शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जानकारी होनेवाले, सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जानेवाले तीन सदस्य, सदस्य ;

(ठ) सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड, सदस्य-सचिव।

(२) **पदेन** सदस्यों से अन्यथा उन व्यक्तियों के नाम और अवधि, जो समय समय पर, बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किए गए हैं, सरकार द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित किए जायेंगे।

(३) जब कोई व्यक्ति जब जैसा ही ऐसा पद, पदनाम या, यथास्थिति ओहदा धारण करने से परिविरत होता है जिसके कारण उसे उस आधार पर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वह व्यक्ती पद धारण करने से परिविरत होगा और ऐसा व्यक्ती उसके बोर्ड के सदस्य होने से इस प्रकार परिविरत हो जाने की सूचना, उसी सप्ताह के भीतर लिखित में अध्यक्ष को देगा।

बोर्ड के उद्देश्य।

६. बोर्ड के उद्देश्य इस प्रकार होंगे,—

(१) उद्योग, उद्योग सहयोजन आदि द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में उभरना ;

(२) उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल मानवी जरुरतों को समझकर उद्योगों के साथ स्थायी अनुबंध जोड़ना और बढ़ावा देना और युवाओं के लिये व्यावहारिक ओर वास्तविक दुनिया के वातावरण में अध्यापन के लिए भागीदारी का निर्माण करना ;

(३) उभरते हुए रूझानों को समझने और उपर्युक्त पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए श्रम बाजार की आवश्यकताओं में अनुसंधान करना ;

(४) पारस्परिक लाभ के लिए उद्योग अकादमिकीय भागिदारी का सृजन करने के लिए भारत और विदेश में अन्य संस्थाओं, उद्योग और उद्योग सहयोजन के साथ अनुबंध, सहयोग और सहभागिता स्थापित करना ;

(५) छात्रों, प्रशिक्षकों तथा अन्यों के लिए वैचारिकता, परिकल्पना लाने, विनिर्दिष्ट प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विनिमय कार्यक्रम विकसित करने तथा प्रस्तुत करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल और लेन-देन कार्यक्रम को भारत और विदेश में देने के लिए अन्य संस्थाओं, लाभ और गैर लाभ संगठनों, कॉर्पोरेट, उद्योग, उद्योग संघों, व्यावसायिक संघों या अन्य संगठनों से सहयोग करना ;

(६) संकाय और प्रशिक्षकों, जो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल है, के लिए शिक्षाशास्त्रीय और कौशल वर्धन प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम करना ;

(७) कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या बोर्ड द्वारा समुचित समझा जाए, के राष्ट्रीय सिद्धातों पर विभिन्न स्तर में कौशल प्रविणता और सक्षमता के साथ अर्हता प्राप्त युवाओं को विकसित करना ;

(८) देश और विदेश के आवश्यक कुशल रोजगार को प्राप्त करके कौशल, अध्ययन और उद्यमिता तथा आंतरउद्योजकता की भावना से अनुप्रणित सक्षम, कुशल और समर्थ युवाओं को विकसित करना ;

(९) उस क्षेत्र में, जिसमें भविष्य में नौकरियों का सृजन होगा जैसे कि स्वचालित, कपडा और सुसज्जता, विमानन और वायु आकाश, माध्यम और मनोरंजन, चलचित्र, पूंजीगत माल, संसूचना, आरेखन, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमीता, कारोबार, बँकिंग और बीमा, स्वास्थ्य सेवा, रसद, क्रीडा, यात्रा और पर्यटन, जैव विज्ञान, अनुप्रयुक्त और रचनात्मक कला, मानविकी डाटा विज्ञान और कृत्रिम सूचना, इ-कारोबार, फुटकर चीजें, विश्लेषण, कृषि कारोबार, ४.० उद्योग से संबंधित और अध्ययन के किसी अन्य क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना जिसमें रोजगार की संभावना उस क्षेत्र में समय-समय पर जैसा संबंधित क्षेत्र की पूरी विस्तृत श्रेणी आवेष्टित करनेवाले अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सक्षमता और कौशल विकास और उद्योग उद्यमशीलता प्रशिक्षण का उपबंध करना ;

(१०) विद्यालय शिक्षा के साथ किसी एकीकृत और समग्र रीत्या में, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण समेत कौशल शिक्षा को बढावा देना ताकि शिक्षा और कौशल के प्ररूप से प्रगति और गतिशिलता का मार्ग सुनिश्चित हों ;

(११) नवपरिवर्तक पहुँच मार्ग के साथ नए तथा आनेवाले क्षेत्रों में कौशल, उच्च कुशल क्षमता और पुनःकौशल क्षमता के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का शुरु करना और निरंतर गुणवत्ता व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना ;

(१२) विभिन्न शिक्षाशास्त्र पहुँच मार्ग तथा प्रणाली के लिए पारम्परिक या संमिश्रित या दूरस्थ शिक्षा या मुक्त या ऑनलाईन शिक्षा के ज़रिए बोर्ड पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के ज़रिए छात्रों को दिर्घकालिक और निरंतर प्रशिक्षण के अवसरों का उपबंध करना ;

(१३) उत्पादकता मजबूत बनाने के उद्देश्य से अनौपचारिक क्षेत्र और असंघठित मजदूर समुदाय को कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों का उपबंध करना ;

(१४) जिसे बोर्ड निर्धारित कर सकें ऐसे शर्तों के अध्यधीन परीक्षा और निर्धारण करना और व्यक्तियों को डिप्लोमा और प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदान करना और विहित रीत्या में किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ वापस लेना या रद्द करना ;

(१५) बहुप्रवेश और निकास का विकल्प सृजित करने के लिए और बोर्ड या विश्वविद्यालयों या अधिकार क्षेत्र या क्षेत्र के यहाँ से गतिविधि के लिए अवसर सृजित करने के लिए क्रेडिट बैंकींग या अंतरण प्रणाली की यंत्रणा और सुविधा प्रस्तुत करना ;

(१६) उच्च विकास क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आधारित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पूर्व माध्यमिक और १० + २ (उच्च माध्यमिक) स्तर कौशल प्रस्तुत करने द्वारा और लाभप्रद रोजगार और उद्यमीता के ज़रिए युवाओं को तैयार करने के लिए छात्रों को सीधे गतिशिलता का उपबंध करना ;

(१७) पूर्व अध्ययन की मान्यता के लिए यंत्रणा तथा सुविधा प्रस्तुत करना ;

(१८) अध्ययन सेमिनार, सम्मेलन, कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम, प्रकाशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए जानकारी और कौशल्य का प्रचार करना ;

(१९) अध्यापक, प्रशासक और श्रमजीवी वृत्तिक के लिए उच्चतर गुणवत्ता प्रशिक्षण, क्षमता भवन और विकास प्रणाली का परिदान करने के लिए प्रारूप बनाना ;

(२०) प्रवेश नियुक्तियाँ, मूल्यांकन, निर्धारण, प्रशासन और वित्त संबंधी मामलों में उच्चतर आदेश को बढ़ावा देना तथा पारदर्शिता बनाए रखना ;

(२१) अकादमिक संरचना, अध्ययन समय-ढाँचा बनाना और कार्य में निर्बाधता के सृजन के लिए तथा पालनपोषण और सृजनात्मक और उद्यमशिलता के उपयोग के लिए निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया में नविकृत पहूँच मार्ग स्थापित करना ;

(२२) शिक्षा, प्रशिक्षण और अध्ययन के अध्यापन स्रोत के परिदान के लिए आधुनिक संसूचना, सूचना प्रौद्यिगिकी के उपयोग द्वारा दुर्गम्य को सुगम्य बनाने का लक्ष्य रखना ;

(२३) अध्यापन अध्ययन शिक्षाशास्त्र जिसमें शिक्षा और अध्ययन और पाठ्यक्रम परिदान (संमिश्रण या दूरस्थ शिक्षा या मुक्त ऑनलाईन या कौशल या अन्य) के विविध प्रारूप के संमिश्रण का उपबंध करना और अब, ''आभासी कॅम्पस'' का उपबंध करना जहाँ पर छात्र अनुभवी निकाय और उद्योग सदस्यों के साथ विकास करने तथा विकसित करने के लिये एकसाथ आयेंगे ;

(२४) बाजार आवश्यताओं की तर्ज पर, प्रशिक्षण वृत्तिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करनेवाले अध्यापन, अध्ययन शिक्षाशास्त्र का उपबंध करना ;

(२५) संयुक्त कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या रूपांतरित निकाय या संसूचना या सर्वोत्तम नित्य प्रयोग को प्रस्तुत करने और छात्रों के लाभ के लिए संसाधन या अनुदान या सलाहकारी संस्था देने या प्राप्त करने के लिए भारत के अन्य राज्य या विदेश में से विख्यात अन्य संस्था, उद्योग, कारोबार, विश्वविद्यालय या प्रयोगशालाएँ या अभिकरण या संगठन के साथ सहयोग करना ;

(२६) अकादमिक कौशल और संबद्ध कार्यक्रमों को हाथ में ले कर और उद्योग, लोक संगठनों, अभिकरणों और संस्था को बड़े पैमाने पर वृत्तिक और विकास सेवाओं का उपबंध करने द्वारा वित्तीय स्व-योग्यता मजबूत बनाना ;

(२७) बोर्ड में अध्ययन करनेवाले छात्रों के साथ ही साथ अन्य छात्रों, अभिकरणों, प्रशिक्षण उपबंधकों, संस्थाए, उद्योग और संगठनों के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के रूप में कौशल निर्धारण कार्य हाथ में लेना ;

(२८) कौशल्य निर्धारण, ऑनलाईन निर्धारण, संगणकीय निर्धारण या परीक्षण के शिक्षाशास्त्र में अनुसंधान करना और बाहरी निर्धारण या परीक्षण को कार्यान्वित करने के लिए, आवश्यक सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर उपाय या अन्य प्रणाली या प्रक्रिया का विकास करना ;

(२९) २१वी सदी के लिए व्यक्तिगत और समाज के लिए अध्ययन करने, अध्यापन करने, अनुसंधान करने, मूल्यांकन करने, विकास करने, संगठन करने और सामाजिक आर्थिक संपत्ति के सृजन का संचालन तथा प्रबंधन करने के लिए आधुनिक प्रक्रिया, यंत्रणा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ;

(३०) संचालन, पाठ्यक्रम परिकल्पना और विकास, अध्यापक प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रशिक्षुता, स्थानन, सलाहकारी, संयुक्त परियोजना, कौशल निर्धारण, प्रमाणन आदि के सभी पहलूओं में सेवारत प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशालाएँ, और क्रियात्मक सहभागिता की संस्थापना के ज़रिए औद्योगिक और औद्योगिक सहयोजन सहभागिता को प्रोत्साहन देना ;

(३१) परिदान, छात्र सेवाएँ सुकर बनाने के लिए तथा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का प्रचार करने के लिए राज्य में विभिन्न स्थानोंपर कौशल केंद्र, समुदाय केंद्र, संसूचना केंद्र परीक्षण या निर्धारण और परीक्षा केंद्र आदि स्थापित करना ;

(३२) व्यावसायिक शिक्षा और कौशल्य की आवश्यकताओं को समझकर और तदनुसार, कार्यक्रमों को प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर विभिन्न सचिवालयों, राज्य निकायों, विभागों, अभिकरणों या अन्य सांविधिक निकायों के साथ सम्पर्क या सहयोग करना ;

(३३) किसी सम्पत्ति का अर्जन, धारण, अंतरण और निपटान, उसका हित या अधिकार और बोर्ड के प्रभावी कार्य के लिए उसका प्रबंधन और बर्ताव ;

(३४) बोर्ड के उद्देश्यों का अनुकरण करने तथा बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या इष्टकर कार्यवाही हाथ में लेना ;

(३५) यह सुनिश्चित करना कि, बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ के मानदण्ड उससे अनिम्न नहीं है जिसे भारत के सक्षम विनियामक सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित किया गया है।

(३६) सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे किसी अन्य उद्देश्यों का अनुसरण करना।

निदेशक की नियुक्ति और पदावधि और सेवा की शर्तें।

७. (१) सरकार, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के संयुक्त निदेशकों में से निदेशक की नियुक्ति करेगी।

(२) निदेशक, **राजपत्र** में उसके नाम के प्रकाशन के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(३) उप-धारा (२) की कोई बात, ऐसी पदावधि के दौरान लोकसेवा की आवश्यकता होने पर सरकार के अधीन निदेशक का तबादला किसी अन्य पद पर करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को प्रभावित नही करेंगी ; और यदि निदेशक की सरकारी सेवा में अधिवर्षिता ही चुकी है, तो जबतक उसकी सेवा में विस्तार नहीं किया जाता है या सरकारी सेवा में उसे पुनः नियोजित नहीं किया जाता है और किसी अन्य स्थान पर उसका तबादला होता है वह निदेशक बना रहने से परिविरत होगा।

(४) सरकार, बोर्ड के निदेशक की पदावधि समय-समय पर बढ़ा सकेंगी, तथापि, इस प्रकार की कुल मिलाकर पदावधि दस वर्षों से अधिक नहीं होंगी।

(५) निदेशक, सरकार का, महाराष्ट्र सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय के संयुक्त निदेशक के समकक्ष दर्जा का सेवक होगा और निदेशक के सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि सरकार द्वारा अवधारित की जायें।

(६) छुट्टी, बीमारी या अन्य कारणों से जहाँ निदेशक की अस्थायी रिक्ति होती है, सरकार किसी दूसरे व्यक्ति को, निदेशक नियुक्त कर सकेगी।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और भत्ते।

८. (१) **पदेन** सदस्यों से अन्य, बोर्ड के सदस्य **राजपत्र** में अपने नाम प्रकाशित होने के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(२) पद छोडकर जानेवाले सदस्यों की पदावधि जिस दिनांक को उनके उत्तराधिकारी के नाम **राजपत्र** में प्रकाशित किये जाते हैं उस दिनांक के सद्य पूर्ववर्ती दिन तक होगी और अवसित होगी।

(३) सदस्य, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्तों के हकदार होंगे, जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये।

शासी परिषद की संस्थापना।

९. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, शासी परिषद की स्थापना करेगी जो राज्य स्तर पर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तर कौशल विकास पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निर्धारण और परीक्षा से संबंधित मामलों का नियंत्रण और मानीटर करनेवाला एक शिखर निकाय होगा।

(२) शासी परिषद, निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) मंत्री, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमीता, महाराष्ट्र सरकार।	अध्यक्ष ;
(ख) राज्यमंत्री, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमीता, महाराष्ट्र सरकार।	उपाध्यक्ष ;
(ग) सचिव, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमीता, महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य ;
(घ) महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग के सचिव या उप सचिव से अनिम्न श्रेणी के उनके नामनिर्देशिति।	सदस्य ;

(ङ) महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के सचिव या उप सचिव से अनिम्न श्रेणी के उनके नामनिर्देशिति। — सदस्य ;

(च) महाराष्ट्र सरकार के श्रमिक विभाग के सचिव या उप सचिव से अनिम्न श्रेणी के उनके नामनिर्देशिति। — सदस्य ;

(छ) सचिव, उच्चतर तथा तकनिकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, या उसके नामनिर्देशिति सचिव, से अनिम्न श्रेणी के — सदस्य ;

(ज) सचिव, विद्यालय शिक्षा, और क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य या उसके नामनिर्देशिति उपसचिव से अनिम्न श्रेणी के — सदस्य ;

(झ) आयुक्त, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमीता, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई। — सदस्य ;

(ञ) निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य। — सदस्य ;

(ट) सरकार द्वारा उद्योग से नामनिर्देशित तीन सदस्य। — सदस्य ;

(ठ) निदेशक, महाराष्ट्र राज्य कौशल और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण। — **पदेन** सदस्य सचिव।

(३) **पदेन** सदस्यों से अन्य व्यक्तियों के नाम, जो शासी परिषद के सदस्य के रूप में, नामनिर्देशित किये गए है, सरकार द्वारा, समय-समय पर **राजपत्र** में प्रकाशित किए जायेंगे।

(४) शासी परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि, सरकार द्वारा जब तक पहले समाप्त नहीं की जाती तब तक पाँच वर्ष की होगी।

(५) शासी परिषद की प्रत्येक वर्ष में दो से अनिम्न बैठकें होंगी और दो लगातर बैठकों के बीच में छह महिने से अनधिक अवधि होगी।

(६) नामनिर्देशित सदस्य को, सदस्य के रूप में ऐसा भत्ता प्राप्त होगा जिसे सरकार द्वारा सदस्य के रूप बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्यक्तिगत व्यय प्राप्त होने या सदस्य के रूप में कोई अन्य कार्य प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित किया जाए।

बोर्ड या शासी परिषद या किसी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की निरर्हता।

१०. कोई भी व्यक्ति, बोर्ड या शासी परिषद या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त, या नामनिर्देशित होने या बने रहने से अनर्ह होगा,—

(क) यदि, वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या अपने भागीदार के ज़रिये बोर्ड द्वारा कृत किसी कार्य में या बोर्ड की ओर से की गई किसी संविदा में कोई अंश या हित रखता है ;

(ख) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध धारा १३ के अधीन पद से हटाने का आदेश बनाया गया है ;

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश बनाया गया है, इस खंड के अधीन निरर्ह हुआ नहीं समझा जायेगा, यदि उसे पद से हटाये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष या ऐसी कम अवधि, जिसे सरकार विनिर्दिष्ट करे, समाप्त हो चुकी है।

आकस्मिक रिक्तियाँ।

११. बोर्ड के सदस्यों के बीच या बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ नामनिर्देशन या, यथास्थिति, नियुक्ति द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जायेगी ; और आकस्मिक रिक्ति में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक ही पद धारण करेगा जब तक यदि रिक्ति नहीं हुई तो वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट या नियुक्त हुआ है, उसे धारण करता।

सदस्य का पदत्याग।

१२. **पदेन** सदस्य को छोडकर, बोर्ड का सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में अपना, त्यागपत्र प्रस्तुत करके किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकता है : और ऐसे सदस्य ने, अध्यक्ष उसका त्यागपत्र स्वीकार करते ही अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जायेगा।

१३. (१) सरकार, बोर्ड की शिफारिश पर और ऐसी आगे जाँच करने के बाद, जिसे करना वह उचित समझे, आदेश द्वारा बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी भी सदस्य को हटा सकेगी, यदि ऐसा सदस्य,— सदस्य को हटाना।

(क) भारत के न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, द्वारा शारीरिक रूप से निर्योग्य घोषित किया गया है ; या

(घ) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ङ) बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए अहितकर कार्य करता है ;

परंतु, बोर्ड द्वारा खण्ड (ङ) के अधीन तब तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की जायेगी या ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा जब तक उसे ऐसा कारण बतानें का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता कि ऐसी सिफारिश क्यों न की जाय या ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये।

(२) सरकार, **स्वप्रेरणा** से आदेश द्वारा, बोर्ड या किसी समिति के नामित या नियुक्त, किसी भी सदस्य को हटा सकेगी जिसकी गतिविधियाँ सरकार की राय में बोर्ड या उसकी किसी समिति के कार्य को उचित रूप से करने के लिए अहितकर या बाध्यकर है :

परंतु कोई भी सदस्य, पद से तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता कि उसके विरुद्ध ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये।

(३) उप-धारा (१) और (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का नामित सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और सरकार द्वारा, उसे किसी भी समय, यदि वह उचित समझें, हटाया जायेगा।

१४. (१) बोर्ड प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें लेगा और दो क्रमवर्ती बैंठकों के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा। बोर्ड की बैठकें।

(२) बोर्ड का अध्यक्ष, किसी भी समय, यदि अत्यावश्यकता की ऐसी मांग हो और बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अनून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, अध्यक्ष द्वारा ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर, बोर्ड की विशेष बैठक बुलायेगा।

१५. यदि बोर्ड या किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य, धारा १० में उल्लिखित किसी निरर्हता में आता है, तो तदुपरांत उसका पद सरकार द्वारा रिक्त घोषित किया जायेगा। निरर्हता के कारण अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति।

१६. यदि, बोर्ड के नामनिर्देशित या नियुक्त कोई सदस्य बोर्ड की अनुमति लिये बिना उसकी तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो तदुपरांत उसका पद रिक्त होगा और अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार घोषित किया जायेगा। अनुमति के बिना अनुपस्थिति के कारण सदस्य की रिक्ति।

१७. यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारा १५ या १६ के अधीन रिक्त हुआ है या नहीं तो यह मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। रिक्ति के प्रश्न पर निर्णय।

१८. बोर्ड या शासी परिषद या किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति थी या ऐसे बोर्ड या शासी परिषद या समिति के गठन में कोई त्रुटि थी। रिक्ति होने या गठन में त्रुटि होने के कारण कोई कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगीं।

बैठक में विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित करने की शक्ति।

१९. बोर्ड, अपनी बैठक में या समिति में उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को, जो उसकी राय में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीता या किसीं अन्य सुसंगत क्षेत्र में का विशेषज्ञ है, या सरकार के किसी अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा यदि वह विषय जिससे विशेषज्ञ सम्बन्धित है, ऐसी बैठक में चर्चा या विचार के लिए आनेवाला है या आया है।

समितियों का गठन।

२०. (१) बोर्ड, निम्न समितियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अकादमिक समितियाँ ;

(ख) वित्त समिति ;

(ग) क्षेत्र कौशल समितियाँ ;

(घ) निर्धारण, परीक्षा और प्रमाणन समितियाँ ;

(ङ) प्रत्यायन, संबद्धता और समकक्ष समितियाँ ।

(२) बोर्ड, ऐसी अन्य समितियों से मिलकर बनेगा जिसे वह उसके कार्य के प्रभावी प्रदर्शन के आवश्यक समझे।

(३) बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समितियों के सदस्य की संख्या, उनके सदस्यों का पदावधि और ऐसे समितियों द्वारा निर्वहन किए जानेवाले कर्तव्य और कार्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाए।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी।

२१. (१) विद्यमान बोर्ड, के स्थायी कर्मचारी, बोर्ड की सेवा में निरंतर रहेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन होंगे :

परंतु, (क) ऐसे रोजगार की अवधि के दौरान, उक्त कर्मचारीवृंद के सदस्यों का वेतन, छुट्टी, सेवा-निवृत्ति, भत्ते, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित सभी मामले, महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों या सरकार द्वारा, समय समय पर जैसा कि बनाए जाए, ऐसे अन्य नियमों द्वारा विनियमित की जायेगी ;

(ख) किन्ही ऐसे सदस्य को, सेवा से अस्वीकृति पदच्युत करने या निकाल देने, जुर्माना या किसी अन्य शास्ति के आदेश के विरुद्ध सरकार को अपील करने का अधिकार होगा।

(२) विद्यमान बोर्ड के स्थायी कर्मचारी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय के उनके किसी कार्यालयों में या संस्था में, जहाँ रिक्ति हैं, अपने संवर्ग के अधीन अंतरणीय होंगे।

(३) विद्यमान बोर्ड के संविदात्मक आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी, उन शर्तों के अध्यधीन बने रहेंगे जैसे वे नियुक्त किए गए थे।

(४) समस्त व्यय, जो विद्यमान बोर्ड किन्ही प्रयोजनों के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से पूर्व उपगत करे, उस दिनांक को धारा ४१ के अधीन बोर्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के प्रति अग्रिम समझा जायेगा, और ऐसे व्यय द्वारा अर्जित समस्त अस्तियाँ बोर्ड में निहित की जायेंगी।

बोर्ड के सचिव, और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, शक्ति तथा कर्तव्य।

२२. (१) बोर्ड का एक सचिव होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) सचिव, निदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन, बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी होगा और तत्समय बोर्ड में कार्यरत कार्यकारी अधिकारी और अन्य समस्त अधिकारी और कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(३) सचिव, शासी परिषद और बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने का हकदार होगा और बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(४) बोर्ड द्वारा या के विरुद्ध सभी मुकदमें और अन्य विधिक कार्यवाहियों में समर्थन, बोर्ड के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित होंगे और ऐसे वादों में सभी प्रक्रिया और कार्यवाहियाँ बोर्ड के सचिव को जारी की जायेगी तथा सचिव पर तामिल होगी।

(५) सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा बनाये जाये।

(६) सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर, निरीक्षक बोर्ड के लिए, अपेक्षित संख्या में तकनिकी स्टाफ जैसे संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, परीक्षा नियंत्रक, तथा अन्य कर्मचारीवृंद जैसे कि प्रशासकीय अधिकारी और लेखा अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त कर्मचारी, सचिव के ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जिसे इस निमित्त जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन सचिव द्वारा उन्हें क्रमशः समनुदेशित की गई है।

(८) उप-धारा (६) में विनिर्दिष्ट कर्मचारी, सरकार के सेवक होंगे, और वेतन तथा भत्ते, सरकार के समेकित निधि में से अदा किए जायेंगे और अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

बोर्ड के अन्य अधिकारी और कर्मचारी।

२३. (१) बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसा विनियमों द्वारा, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायें।

अध्याय तीन

शासी परिषद और बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

शासी परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

२४. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, शासी परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य यथा निम्न होगें, अर्थात् :—

(क) बोर्ड द्वारा निर्देशित मामलों पर कार्य करना और कार्यान्वयन के लिए बोर्ड की सिफारशें और विनिर्णयों को अनुमोदित करना ;

(ख) उद्योग के साथ परामर्श में परिप्रेक्ष्य विकास योजना तैयार करना ;

(ग) कर्मचारीवृंद विनियमन से संबंधित मामलों को अनुमोदित करना और उसका अनुमोदन देना ;

(घ) नियमित रूप से बोर्ड की लेखाओं की लेखा परीक्षा संपरिक्षित करने और शासी परिषद जिसे उचित समझे ऐसे अन्तराल पर कार्यान्वित करने के लिए सरकार से सिफारिश करना ;

(ङ) संस्थाओं की प्रत्यायन नीति विनिश्चित करना ;

(च) वित्तीय मामलों जो बोर्ड द्वारा निर्देशित किए है से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करना ;

(छ) बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए बजट को अनुमोदन देना ;

(ज) सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्णित की गई विभिन्न नीति के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड को निदेश देना ;

(झ) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति के नियम और प्रक्रिया, उनकी अर्हताएँ, आचरण, अनुशासन और कर्तव्य, भर्ती की प्रणाली, वेतनमान समेत सेवा के निबंधन तथा शर्तें अनुमोदित करना ;

(ञ) बोर्ड के अधीन संस्था के उचित आचरण, कार्यपद्धति और वित्तविषयक संबंधित किसी मामलों के संबंध में कोई जाँच आयोजित करने की सरकार को सिफारिश करना।

बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२५. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड की निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(१) नई सीमान्त रेखा समेत जिसमें भविष्य में, नौकरियों का सृजन किया जानेवाला है, जैसे कि, स्वचालित, कपडा और सुसज्जता करने, विमानन और वायुआकाश, माध्यम और मनोरंजन, चलचित्र,

पूंजीगत माल, संसूचना, डिजाईन, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमशिलता, कारोबार, बँकिंग और बीमा, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, संभार तंत्र, क्रीडा, यातायात और पर्यटन, प्रयुक्त तथा सृजनात्मक कला, जीवन विज्ञान, मानविकी, डाटा विज्ञान, कृत्रिम आसूचना, इ. कारोबार, फूटकर चीजें, विश्लेषण, कृषि कारोबार, ४.० से संबंधित उद्योग और रोजगार संभाव्यता होनेवाले कौशल्य प्रदान करने समेत अध्ययन के अन्य क्षेत्र समेत कौशल्य के आनेवाले क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएँ तथा बढावा देने का उपबंध करना ;

(२) राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता संरचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या विश्वविद्यालय द्वारा जैसा कि परिभाषित किया जाए ऐसे राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदण्ड के अनुसरण में विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम पॅकेज और शृंखला संरचना का विकास करना ;

(३) शृंखला संरचना और पाठ्यक्रम पॅकेज के समनुरूप जैसा कि कौशल और संबद्ध क्षेत्र जिसे बोर्ड उचित समझे ऐसी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कौशल शिक्षा, अध्यापन और अनुदेश के मानक और मापदंड परिभाषित करना ;

(४) बोर्ड के पाठ्यक्रमों के प्रवेश, जिसमें प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति या बोर्ड द्वारा जैसा कि परिभाषित किया जाए सम्मिलित हो, के मानक निर्धारित करना ;

(५) ऐसे बोर्ड द्वारा उपबंधित किए गए प्रशिक्षण परामर्श या सलाहकारी सेवाओं की स्वायत्तता, समकक्षता प्रदान करने समेत निर्धारण और परीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए छात्रों से और किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, उद्योग या निर्गमित निकाय से जैसा कि बोर्ड जिसे उचित समझे ऐसी फीस और शास्तियाँ तथा अन्य प्रभारों को निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट करना और अदायगी प्राप्त करना ;

(६) ज्ञान और कौशल प्रशिक्षण का प्रचार करने तथा उसके उद्देश्यों के अनुरूप जिसे बोर्ड उचित समझे ऐसे कौशल और संबंधित क्षेत्रों में शृंखला संरचना और पाठ्यक्रम पॅकेज के अनुसरण में अनुदेश सुकर बनाना ;

(७) बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् सरकार की ओर से उम्मीदवारों को डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, अन्य सम्मान प्रदान करना ;

(८) उससें संबद्ध कौशल शिक्षा की संस्था, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, और की परीक्षा या जानकारी के निर्धारण के अन्य कोई उपाय और छात्रों की सक्षमता या प्रवेश के मानदंड परिभाषित करना ;

(९) जिसे बोर्ड समय-समय से निर्धारित कर सकें ऐसी परीक्षाएँ या जानकारी के अन्य निर्धारण या सक्षमता या उससे संबद्ध अन्य निर्धारण प्रणाली को धारण करना ;

(१०) बोर्ड द्वारा, ऐसी रीत्या में और जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए के अनुसरण में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा संस्था, प्रशिक्षण आस्थापना, उद्योग आस्थापना, समुदाय केंद्र, निर्धारण निकाय और कौशल विकास केंद्रों को संबद्धता देना तथा मान्यता देना ;

(११) बोर्ड द्वारा अधिकथित रीत्या में किसी संस्था पर स्वायत्त दर्जा प्रदान करना ;

(१२) कौशल में छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उद्योगों /कंपनीयों/राष्ट्रीय और आन्तर्राष्ट्रिय भागीदारों जैसे कौशल ज्ञान प्रदाता को मान्यता देना और श्रेयांक प्राप्ति के प्रयोजन के लिए उद्योग में ऐसे प्रायोगिक प्रशिक्षण में छात्रों द्वारा सक्षमता प्रसिद्ध करने की मान्यता के लिए मानदण्ड निर्धारित करना ;

(१३) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीता शिक्षा प्रदान करनेवाले सभी संस्था को प्रमाणपत्र और डिप्लोमास्तरीय परीक्षा के लिए अनुमति अनुदत्त करने के लिए सरकार को सिफारिश करना ;

(१४) कौशल में कार्य पर संबंधित और पूर्व अध्ययन की मान्यता प्रदान करने कें लिए अनुभवों के आधार पर या उद्योग में पूर्ण अध्ययन और सक्षमता की मान्यता के लिए और श्रेयांक संरचना के अनुसरण में ऐसे पूर्व अध्ययन या सक्षमता के लिए श्रेयांक नियुक्ति करने के निर्धारण के मानदण्ड और उपाय निर्धारित करना ;

(१५) अन्य अकादमिक संस्थाओं के साथ सत्र प्रणाली, निरंतर मूल्यांकन और चयन आधारित श्रेयांक प्रणाली सामर्थ्यकारी श्रेयांक अंतरण और संयुक्त डिप्लोमा या दोहरी डिप्लोमा कार्यक्रम प्रस्तुत करना ;

(१६) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीता शिक्षा के संमिश्रित या दूरस्थ या खुला या ऑनलाईन पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना ;

(१७) विहित मानकों या उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा जैसा कि निर्धारित किए जाए ऐसे मानकों के अनुसरण में कौशल प्रशिक्षक और प्रशिक्षण संस्था के निर्धारण प्रमाणन और प्रत्यायन के लिए मापदण्ड अधिकथित करना ;

(१८) सरकार की पूर्वानुमति से प्रशासकीय और अन्य तकनीकी पदों को सृजित करना और उसकी नियुक्तियाँ करना ;

(१९) भविष्य में जरुरती या, यथास्थिति, आवश्यक कौशल के निर्धारण के लिए ऐसा अध्ययन हाथ में लेना या लेने का कारण बनना और कौशल निर्धारण का डाटाबेस और आनेवाले रोजगार बाजार के संबंध में या, यथास्थिति, संबद्ध, संस्थाओं द्वारा अनुदेश देनेवाले या देने के लिए प्रस्तावित किए गए के संबंधित आवश्यकताओं का डाटाबेस तैयार करना और बनाए रखना ;

(२०) उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा का सेतु बनाने के लिए संयुक्त डिप्लोमा कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था से सहयोग करना ;

(२१) सक्षमता विकसित करने, ज्ञान और वैश्विक मानकों की काबिलियत विकसित करने के लिए और राज्य सरकार की पूर्वानुमति से संयुक्त प्रमाणपत्र और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की संस्थाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग को बढ़ावा देना ;

(२२) प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और सामान्यतया केंद्रिय तथा राज्य सरकार के कौशल विकास और उद्यमीता से संबंधित नीति के मामलों पर और विशेषत: निम्न मामलों पर सरकार को परामर्श देना, अर्थात् :—

(क) प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीता शिक्षा के बीच, में राष्ट्रीय नीति और राज्य नीतियों में समन्वयन रखना ;

(ख) राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच में समन्वयन रखना ;

(ग) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अधीन राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के साथ समन्वयन रखना ;

(घ) माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र स्तर, डिप्लोमा स्तर और उपाधि स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीती शिक्षा के बीच समन्वय रखना ;

(ङ) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का एक समान दर्जा बनाए रखना ;

(च) प्रमाणन और निर्धारण के लिए उद्योग संस्था आंतरक्रिया के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

(२३) पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण के अवधारण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिकथित करना और साथ में नियमित, प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली अंशकालिक, पत्राचार पाठ्यक्रम, वार्षिक, सत्रकालिक नमूना आधारित पाठ्यक्रम और इसी तरह के जैसे सभी प्रवर्ग के प्रमाणपत्र डिप्लोमा स्तर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विस्तार में पाठ्यक्रम और पाठ्य-विवरण तैयार करना।

(२४) डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए, किसी पुस्तक को पाठ्यपुस्तक और संदर्भ पुस्तक या कोई अन्य अध्ययन सामग्री, चाहे चरण या कार्यप्रणाली प्रशिक्षण पर कक्षा के लिए आवश्यक हो के रूप में विहित करना और विकसित करना या कोई पुस्तक और मुद्रित या अमुद्रित सामग्री तैयार करना या तैयार करवाना या प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए किसी प्रकार की पठनीय सामग्री, स्वयं या किसी अन्य अधिकरण के साथ मिलकर प्रकाशित या निर्माण करना ;

(२५) बोर्ड की अनुमोदित पाठ्यक्रम की ऑनलाईन शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा तथा निर्धारण के प्रबंधन और संचालन पर उद्योग के साथ समन्वयन में प्रौद्योगिक सुलझन और सेवाएँ विकसित करना ;

(२६) पाठ्यक्रम अध्ययन स्रोत प्रक्रिया, शिक्षा और परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन और सुधार के प्रयोजनार्थ भारत की या भारत के बाहर की किसी एजेंसी के सहयोग से सांख्यिकीय और अन्य अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्यक्रम करना ;

(२७) मान्यता और संबद्धता के प्रयोजन के लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठन के अपने हिसाब से अनुकूल बनाए गए पाठ्यक्रम अनुमोदित करना ;

(२८) छात्रों को बहुप्रवेश निकास और क्रेडीट बैंकिग और सभी स्तरों पर अंतरण करने की सुविधा देने कौशल विकास शिक्षाशास्त्र के समान चयन आधारित श्रेयांक प्रणाली की सिफारिश करना ;

(२९) संबद्धता और प्रत्यायन के लिए मूल सुविधाएँ और अन्य मानदण्डों के संबंध में संस्थाओं के लिए मानक आवश्यताएँ विहित तथा विनियमित करना ;

(३०) अपने द्वारा मान्यता दिये गये किसी संस्था से, उनके शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने की विशेष रिपोर्ट मंगाने के लिए कोई जानकारी मंगाना और अपने द्वारा मान्यताप्राप्त किंतु अपेक्षित शैक्षणिक स्तर न बनाए रखनेवाले प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर की संस्था के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य के जिला स्तरीय कार्यालयों से जिला व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंधित अधिकारी से जानकारी मंगाना तथा खराब शैक्षणिक परिणामों और गंभीर शैक्षणिक अनियमितता के मामलों में, शासी परिषद को मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना और ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश करने से संबंधित शासी परिषद के निर्देशन के अनुसार प्रक्रिया होगी।

(३१) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त आवश्यक संस्थाओं को, परीक्षाओं के संचालन में उनके सहयोग को बढ़ाना और ऐसी किसी संस्था से जो, परीक्षायें संचालित करने के लिए अपेक्षित सुविधायें उन्हें देने में असमर्थ रहती है, उन्हें यह कारण बताने का कि ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाए, कोई आदेश बनाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद बोर्ड के, विशेषाधिकार वापस ले लेना ;

(३२) परीक्षाओं में नियमित उम्मीदवारों और पूर्व-उम्मीदवारों और बाह्य उम्मीदवारों के प्रवेश को अनुशासित करनेवाली साधारण शर्ते विहित करना और पात्रता, उपस्थिति, मिआदी-कार्य संबंधी शर्तें विनिर्दिष्ट करना, जिनकी पूर्ति पर ही उम्मीदवार को ऐसी किसी परीक्षा मे प्रवेश पाने और बैठने का अधिकार होगा ;

(३३) छात्रों, सेवारत कर्मचारी, कार्य करनेवाले व्यावसायिकों को सभी प्रकार के सुसंगत कौशल देने के लिए, उद्योग और समाज के लाभ के लिए उद्योग के साथ सहयोग में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना और प्रशिक्षण या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए संयुक्त परियोजना हाथ में लेना ;

(३४) विनियमों के अनुसार परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश देना और संचालित की जानेवाली परिक्षाओं में बैठनेवाले उम्मीदवारों के परिणाम ऐसे दिनांक या दिनांकों को घोषित करना जैसा कि बोर्ड द्वारा नियत किया जाए ;

(३५) शिल्पकार-से प्रविधिज्ञ तंत्रवादी योजना, राज्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना पूर्व माध्यमिक और १०+२ स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण समेत कौशल विकास कार्यक्रम की परीक्षा और निर्धारण संचालित करना तथा जैसा कि विहित किया जाए प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान करना ;

(३६) बोर्ड के शैक्षिक कार्यक्रमों में समान या अलग अलग अनुशासन में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंध तैयार करना ;

(३७) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, वृत्तिका, पदक, पुरस्कार और अन्य प्रतिफल संस्थित करना और साथ में उसकी शर्तें विहित करना ;

(३८) केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बक्षिस, अनुदान, चंदा या दान स्वीकार करना और वसीयतकार, दाता या अंतरिति या उसमें हित होनेवाला या, यथास्थिति, उसमें अधिकार रखनेवालों से वसीयत, चंदा, वृत्ति न्यास और चल या अचल सम्पत्ति का स्वीकार करना ;

(३९) उपर्युक्त खण्ड (३८) में उल्लिखित कोई संपत्ति, हित या अधिकार धारण करना और उनका प्रबंध और निपटान करना ;

(४०) बोर्ड कार्यालय या जिला कार्यालय के कृत्यों के, जैसा कि उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो, के लिए कोई सम्पत्ति या आवश्यक आधारभूत संरचना स्वीकार करना, धारण करना या किराए पर लेना ;

(४१) कोई भूमि या भवन, परिसर या आधारभूत संरचना जिसे बोर्ड उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित समझे, खरीद लेना, पट्टे पर लेना या अनुमति और अनुज्ञप्ति के आधार पर लेना ;

(४२) राज्य सरकार की पुर्वानुमति से, बोर्ड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड की सम्पत्ति के प्रतिभूति पर पैसा उधार लेना ;

(४३) ऐसी प्रतिभूति में या प्रतिभूति पर बोर्ड का निधि निवेशित करना और बोर्ड के हित में, समय-समय पर कोई निवेश राष्ट्रीयकृत बँकों में स्थानांतरित करना ;

(४४) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित के लिए भविष्यनिधि का गठन करना ;

(४५) बोर्ड से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदित करना और वार्षिक बजट की मंजूरी के लिए शासी परिषद को सिफारिश करना ;

(४६) जिलास्तरीय जिला व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यालयों के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य के कार्य की सामान्यतः जाँच तथा पर्यवेक्षण करना और उनके लेखा खाते की कालिकतः जाँच करना ;

(४७) विनियमों के अनुसार बोर्ड के कर्मचारीवृंद की नियुक्ति करना ;

(४८) ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ;

(४९) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यन्वयन के प्रयोजनार्थ विनियम बनाना ;

(५०) बोर्ड, उसकी समितियों द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया और केवल बोर्ड और उसकी समितियों से संबंधित किन्हीं अन्य मामलों जैसे मामलों से संबंधित उप-विधि बनाना जिनका इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित विनियमों द्वारा या के अधीन उपबंध नहीं किया गया है ;

(५१) राज्य में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और अग्रिम डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा के सुधार, विस्तार और विकास के लिए और ऐसे प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और अग्रिम डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा का स्तर बनाए रखने और मानक सुधार करने के लिए ऐसे सभी कार्य करना, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो ;

(५२) संस्थाओं और पाठ्यक्रमों को संबद्धता, मान्यता, समकक्षता, पात्रता और स्वायत्तता अनुदत्त करने के लिए विनियम बनाना ;

(५३) परीक्षाओं के संचालन, उम्मीदवारों के काम का निर्धारण और परिणामों के संकलन और घोषणा के लिए पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों, पर्यवेक्षकों और अन्य आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति करना ;

(५४) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत होनेवाला खुले तथा ऑनलाईन कार्यक्रमों के लिए एकाधिक नामांकन चक्रों का संचालन करना ;

(५५) यह सुनिश्चित करना कि डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक पुरस्कार का दर्जा उससे निम्न नहीं है जिसे भारत के सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित किया गया है ;

(५६) देश के भीतर और बाहर के संबद्ध संस्थाओं परीक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों, सरकारी शैक्षिक निकायों, निदेशालयों और सरकारी विभागों आदि के लिए समेत व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता क्रियाकलापों के सहायता के लिए सलाह, संबद्धता और सहायक सेवाओं का उपबंध करना और अर्जन करना ;

(५७) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या बोर्ड द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे मार्गदर्शन के अनुसार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के कृत्यों का निर्वहन करना ;

(५८) ऐसे सभी कृत्य और कार्य करना जो बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रेसर करने के उद्देश्यों में आवश्यक हो चाहे वह उपर्युक्त शक्ति से अनुषंगिक हो या नहीं हो ;

बोर्ड के निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२६. (१) बोर्ड के निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन निर्मित विनियम और उप-विधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(२) निदेशक, बोर्ड का प्रधान अकादमिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा अकादमिक कार्यक्रम के विकास के लिए जिम्मेवार होगा। वह सक्षमता और अच्छे उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के सामान्य प्रशासन का निरीक्षण, मानिटर और नियंत्रण करेगा।

(३) वह बोर्ड की किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने और संबोधित करने का हकदार होगा।

(४) निदेशक, यह सुनिश्चित करेगा कि, सरकार, शासी परिषद और बोर्ड द्वारा जारी निदेशन का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है या, यथास्थिति, कार्यान्वित की जा रही है।

(५) जहाँ कोई मामला विनियमों और उप-विधियों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है, परंतु इस निमित्त कोई विनियम या उप-विधियाँ इस निमित्त बनायी नहीं है तो निदेशक, तत्समय के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे निदेशन जारी करके मामले विनियमित कर सकेगा और अगली बैठक में अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखेगा :

परंतु, ऐसे निदेशन, ऐसे निदेशन के जारी होने के एक वर्ष के भीतर विनियमों या, यथास्थिति, उप-विधियों में रुपांतरित हो जाने है, पर न होने पर जो ऐसे निदेशन अपने आप रद्द हो जायेंगे, परंतु उसके द्वारा की गई कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगे।

(६) ऐसी आपात स्थिति में, जिसमें बोर्ड के निदेशक की राय में सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है, निदेशक ऐसी कार्यवाही करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और तत्पश्चात् अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट अगली बैठक में बोर्ड को देगा।

(७) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाये।

निदेश जारी करने की सरकार की शक्तियाँ।

२७. (१) बोर्ड द्वारा (यदि कोई हो) दी गई सलाह पर विचार करने के बाद, सरकार को धारा २५ में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी, जिसे वह आवश्यक समझे। संबंधित बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(२) बोर्ड को अपने द्वारा संचालित या कृत या किये गये या संचालित किये जा रहे किये जाने के लिए आशयित या आशयित किसी बात के संदर्भ में बताने का और बोर्ड को, इस विषय में अपने विचार संसूचित करने का भी सरकार को अधिकार होगा।

(३) बोर्ड, ऐसी संसूचना मिलने पर, अपने द्वारा, यदि कोई हो, करने के लिए प्रस्तावित या की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना, सरकार को देगा और यदि वह कार्यवाही करने में विफल रहता है तो उसका स्पष्टीकरण देगा।

(४) यदि बोर्ड, सरकार के समाधानपर्यन्त, उचित समय के भीतर कार्यवाही नहीं करता है, तो सरकार, बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर, विचार करने के बाद, इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी करेगी, जिसे वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(५) किसी आपात काल में, जिसमें सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि सद्य कार्यवाही की जाये, सरकार, बोर्ड के पूर्व परामर्श के बिना इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह आवश्यक समझती और तुरन्त उसे की गई कार्यवाही की सूचना देगी।

(६) यदि सरकार की यह राय है कि ऐसा कोई प्रस्ताव, आदेश या कार्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बोर्ड को, प्रदत्त शक्तियों में से अधिक है, तो सरकार, लिखित आदेश, द्वारा उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड के किसी प्रस्ताव या आदेश का निष्पादन निलंबित करेगी और बोर्ड द्वारा आदेशित कार्यवाही या किये जाने के लिये तात्पर्यित कार्यवाही का प्रतिषेध करेगी।

अध्याय चार

अनुमति, संम्बद्धन, स्वायत्तता और समानता प्रदान करना

संबद्धन की शर्ते ।

२८. (१) संम्बद्धन के लिये आवेदन करनेवाला प्रबंधन और वह प्रबंधन, जिसकी संस्था को अनुमति और विर्निदष्ट अवधि के लिये संम्बद्धन अनुदत्त किया गया है वह निम्न वचन देगे और उनका अनु-शर्ते पालन करेंगे,–

(क) इस अधिनियम और उसके अध्यधीन विनियमों के उपबंध तथा बोर्ड के स्थायी आदेशों और निदेशों का अनुपालन किया जाये ;

(ख) किसी संबद्ध संस्था के लिये, उपबन्धित एक अलग स्थानीय प्रबंधन समिति होगी ;

(ग) पाठ्यक्रम के लिये भर्ती किए गये छात्रों की संख्या, बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित सीमा से अधिक नही होगी ;

(घ) यह कि अध्यापन और अनुसंधान के लिये अपेक्षित उचित और पर्याप्त भौतिक सुविधायें जैसे भवन, प्रयोगशालाएँ, ग्रंथालय, किताबें, उपकरण और अध्यापन और अनुसंधान के लिए आवश्यक यंत्रसामग्री, छात्रावास, व्यायामशाला हो, जिसे कि विहित किया जाये ;

(ड.) संस्था के वित्तिय स्त्रोत ऐसे होंगे ताकि उसके रख-रखाव कामकाज और को जारी रखने के लिये उचित उपबंध किया जाये ;

(च) सम्बद्ध मान्यतप्राप्त संस्थाओं के अध्यापन कर्मचारियों की अर्हताएँ, ऐसी होगी जिसे बोर्ड द्वारा विहित किया जाये और जो अध्ययन पाठ्यक्रम, अध्यापन या प्रशिक्षण को सुचारू रूपसे करने के लिये, सम्यक् उपबंध करने के लिए पर्याप्त हो ;

(छ) सभी अध्यापन या अध्यापनेतर कर्मचारियों की सेवाएँ और सम्बद्धन पानेवाली संस्था की सुविधाएँ सुलभ करायी जानी चाहिये ताकि परीक्षाओं का संचालन और निर्धारण और बोर्ड की अन्य गतिविधियों को बढावा दिया जा सके ;

(ज) इस अधिनियम, और नियमों के उपबंधों के अधीन, उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के निर्देश और आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ;

(झ) बोर्ड की पूर्वानुमति के सिवाय, प्रबंधन में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं किया जायेगा ;

(ञ) बोर्ड की पूर्वानुमति के सिवाय, संस्था बंद नही की जायेगी ;

(ट) धारा ३५ या, यथास्थिति, धारा ३९ के अधीन संस्था के असम्बद्धन या मान्यता वापस लेने या बन्द करने के समय, भवन और उपस्कर समेत, संस्था की समस्त आस्तियाँ जो कि सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में अदा की गई रकम में से सन्निर्मित या बनाई गई समझी गई है, सरकार में निहित की जायेगी ।

(२) ऐसी कोइ भी संस्था, जो अन्य बोर्ड का हिस्सा है, को मूल बोर्ड द्वारा " निरपेक्ष प्रमाणपत्र " दिये बिना, सम्बध्दन किये जाने पर, विचार नही किया जायेगा ।

अनुज्ञा के लिए प्रक्रिया ।

२९. (१) नवीन संस्था खोलने के लिए अनुज्ञा चाहने वाला प्रबंन्धक वर्ग, जब से अनुज्ञा चाही गई है उस साल के पूर्ववर्ती वर्ष के अक्तूबर के अंतिम दिन से पूर्व, सदस्य-सचिव को विहित प्रारूप में आवेदन करेगा ।

(२) उपयुक्त विहित समय-सीमा के भीतर प्राप्त ऐसे समस्त आवेदनों की, बोर्ड की गठित समिति द्वारा जांच की और प्राकृतिक नियम के अनुसार निरीक्षित कि जायेगी और उस वर्ष के दिसम्बर के अंतिम दिनांक को या से पहले, राज्य सरकार को भेजे जायेंगे ।

(३) बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये आवेदनों में से, सरकार ऐसी संस्था को अनुज्ञा अनुदत्त कर सकेगी जैसा वह सरकार के बजट के संबंधी स्त्रोतों, नवीन संस्था खोलने की अनुज्ञा चाहने वाले की यथोचित् और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल्य विकास और उद्यमिता शिक्षा की संस्थान के स्थान के संबंध में राज्य स्तर की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, अपने पूर्णतः विवेकाधीन सही और उचित समझे :

परंतु, फिर भी, असाधारण मामलों में, और लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमीता शिक्षा की नवीन संस्था शुरू करने के लिए, बोर्ड द्वारा सिफारिश न किया गया कोई आवेदन, सरकार व्दारा अनुमोदित किया जा सकेगा

(४) नवीन संस्था खोलने हेतु, अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए, सरकार द्वारा सीधे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

सम्बद्ध किये जाने के लिये प्रक्रिया ।

३०. (१) धारा २९ के अधीन राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त होने पर, बोर्ड, उप-धारा २ में दी गई विहित प्रक्रिया अपनाकर और क्या संस्था व्दारा अनुबद्ध शर्त पूरी की है या नही और किस सीमा तक पूरी की गई है, इस पर विचार करने के बाद, नवीन संस्था को प्रथम बार, सम्बद्धन किये जाना मंजूर करने के लिये, विचार करेगा इस बारे में, बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(२) सम्बद्ध किये जाने की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए, बोर्ड अपने द्वारा, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा जाँच करवायेगा ।

(३) बोर्ड विनिश्चय करेगा .–

(क) सम्बद्ध किया जाना मंजूर या नामंजूर किया जाये या न किया जाये ;

(ख) सम्बद्ध पूर्णतः या अशंतः अनुदत्त किया जाये या न किया जाये ;

(ग) विषय, पाठ्यक्रम, इसमें सम्मिलित किये जाने वाले छात्रों की संख्या ;

(घ) वह शर्तें, यदि कोई हो, जो मंजूरी देते समय या मंजूरी देने के लिये नियत की गई है ।

(४) सदस्य सचिव, बोर्ड का विनिश्चय उसकी प्रति सहित सरकार को संसूचित करेगा और यदि सम्बद्धन के लिए आवेदन को .–

(क) सम्बद्धन के लिए अनुमोदित विषय और पाठ्यक्रम ;

(ख) सम्मिलित किये जाने वाले छात्रों की संख्या ;

(ग) वह शर्तें, यदि कोई हो, जिसे पूरा करने के अध्यधीन, अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

(५) धारा २९ में निर्दिष्ट प्रक्रिया नवीन पाठ्यक्रमों, अतिरिक्त पाठ्यक्रमों, नवीन विषय और अतिरिक्त, विभागों को खोलने की अनुमति के लिये, **यथा आवश्यक परिवर्तन सहित** लागू होगी।

(६) संस्था द्वारा छात्रों को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक पहली बार सम्बद्धन बोर्ड संस्था द्वारा अनुदत्त नहीं किया गया है।

(७) उप-धारा (१) से (४) तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया **यथावश्यक परिवर्तन सहित,** समय-समय पर, सम्बद्धन जारी रहने के विचार से लागू होगी।

सम्बद्धता जारी रहना ।

३१. सम्बद्ध संस्था, अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए, जिसके लिये सम्बद्धता के अवसान से पूर्व सामान्यतः छह माह पूर्व सम्बद्धता अनुदत्त की गई है, सम्बद्धता जारी रहने के लिये आवदेन कर सकेगा। बोर्ड संबद्धता अनुदत्त करने के लिये, जहाँ तक लागू है, धारा २८, २९ और ३० में विहित प्रक्रिया को अपनायेगा।

सम्बद्धता का विस्तार ।

३२. सम्बद्ध संस्था, अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिये सम्बद्धता के लिये आवेदन कर सकेगी। बोर्ड, संम्बद्धता अनुदत्त करने के लिए जहाँ तक लागू हो इस धारा २८, २९ और ३० में यथा विहित प्रक्रिया को अपनायेगी और जहाँ तक उसे लागू होगी।

स्थायी सम्बद्धन और मान्यता।

३३. सम्बद्ध संस्था, सम्बद्ध संस्था के रूप में कम से कम छह वर्ष स्थायित्व के साथ, स्थायी सम्बद्धता के लिये आवेदन कर सकेगी। बोर्ड, आवेदन पर विचार और छानबीन करेगा और उसका समाधान होनेपर कि, सम्बद्धन संस्था ने सम्बद्धन की समस्त शर्तों को पूरा किया है और बोर्ड द्वारा, समय-समय पर यथा विहित उच्च अकादमिक और प्रशासकीय स्तर को हासिल किया है, तो बोर्ड, संस्था को स्थायी सम्बद्धन प्रदान करेगा।

संस्था का निरीक्षण और रिपोर्ट।

३४. (१) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था, ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य विवरण जुटायेगी, जिसे कि बोर्ड, संस्था के अकादमिक स्तर और अकादमिक प्रशासन के स्तर का निर्णय लेने में उसे सक्षम बनानें के लिये आवश्यक समझता है।

(२) निदेशक, प्रत्येक सम्बद्ध संस्था का इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त एक या अधिक समिति द्वारा, प्रत्येक अकादमिक वर्ष में एक बार, निरीक्षण करवायेगा।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण और मान्यता ।

३५. (१) यदि सम्बद्ध संस्था धारा २८ में यथा उपबंधित सम्बद्धन की शर्तों के अनुपालन में, विफल रही है तो बोर्ड, सम्बद्धता द्वारा संस्था पर प्रदत्त विशेषाधिकारों को अंशतः या पूर्णतः प्रत्याहृत करने या रुपभेदित करने का कारण दर्शाती सूचना, प्रबंधकवर्ग को जारी करेगी।

(२) बोर्ड, उपर्युक्त कार्यवाही करने के प्रयोजन के आधार का उल्लेख करेगा और संस्था के प्रधानाचार्य को सूचना की प्रतिलिपि भेजेगा। यह सूचना में विनिर्दिष्ट करेगा, जिसकी अवधि ऐसी होगी तीस दिनों से कम नहीं होगी जिसके भीतर, प्रबंध मंडल सूचना के उत्तर में अपना लिखित वक्तव्य फाईल करेगा।

(३) ऐसा लिखित बयान प्राप्त होने पर, या उप-धारा (१) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, बोर्ड, ऐसे विशेषाधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिये, यथोचित कार्यवाही करेगा।

(४) बोर्ड, संस्था में अध्ययनरत छात्रों के हित के बारे में इस निमित्त की जानेवाली सम्बद्धता का निलंबन या प्रत्याहरण या कोई अन्य यथोचित कार्यवाही, सरकार को सुझावित करेगा और शासीपरिषद, उसके पश्चात्, सुझावों के कार्यान्वयन के लिये, अग्रसर होगी।

स्वायत्त हैसियत प्रदान करना।

३६. (१) ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था, जो अपने आपको अकादमिक स्वायत्त हैसियत के योग्य मानते है, वे बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में जिस वर्ष से स्वायत्त हैसियत के लिए आवेदन किया है उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के ३१ अगस्त को या से पूर्व बोर्ड के सचिव के पास आवेदन करेंगे।

(२) सचिव, अकादमिक समिति के समक्ष आवेदन रखेगा और अकादमिक समिति आवेदन प्रपत्रों की संवीक्षा करेगी तथा निर्णय लेगी चाहे आवेदन पर विचार करने का प्रथमदृष्ट्या मामला है यदि अकादमिक समिति यह निर्णय लेती है कि प्रथम दृष्ट्या मामला है तो उसे संस्था के प्रमुख, कर्मचारी और विद्यार्थियों से विचार विमर्श के जरिए भी स्थानीय जाँच करानी चाहिए।

(३) स्थानीय जाँच, मानकों और हैसियत के और संस्था कम से कम आवश्यक प्रत्यायन और पर्याप्त वित्तीय क्षमताओं आदि के अनुसार होगी और इस प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा कि मानकों आदि के अनुसार सुविधायें है अथवा नहीं तथा जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ समिति विशिष्ट और अतिरिक्त जानकारी लेगी।

(४) बोर्ड के सचिव, आवेदन और आवेदन की संवीक्षा और स्थानीय जाँच पर अकादमिक समिति की रिपोर्ट, बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक में रखेगा जो अपने प्रस्ताव को अभिलिखित करेगा कि यह रिपोर्ट स्वीकृत की जाए अथवा नहीं। यदि बोर्ड, बहुमत द्वारा या सर्वसंमति से आवेदन और ऐसी रिपोर्ट को रद्द करता है और यह निर्णय लेता है कि स्वायत्त हैसियत प्रदान करने हेतू सिफारिश न की जाए तो वह इससे कारणों को अभिलिखित करेगा । यदि बोर्ड, आवेदन को मंजूरी देने का प्रस्ताव करता है और अकादमिक स्वायतता हैसियत प्रदान करने की सिफारिश करता है, तो वह उस प्रभाव का संकल्प पारित करेगा और ऐसी शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके अध्यधीन अकादमिक स्वायत्तता हैसियत प्रदत की जाएगी ।

(५) बोर्ड का सचिव, प्रस्ताव और बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये जानेवाले ऐसे अन्य अभिलेखों की प्रति समेत बोर्ड की ऐसी सिफारिशें कौशल विभाग, रोजगार और उद्यामिता विभाग के शासन सचिव को एक माह के अवधि के भीतर अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी ।

(६) आवेदक संस्था को अकादमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये, सरकार के अनुमोदन प्रास्त होने पर, बोर्ड का सचिव, लिखित रुप में मामले से संबंधित संस्था को शर्तो सहित, यदि कोई हो, सूचित करेगा ।

(७) अकादमिक स्वायत्तता प्रदान न करने के मामले में भी, संबंधित संस्था को संसूचित किया जाएगा ।

उप-धाराएँ (१) से (७) तक की प्रक्रिया, स्वायतता प्रदान करने के लिए, आवेदन की प्राप्ति के अंतिम दिनांक से दस माह के भीतर पूरी की जाए ।

(८) स्वायत्तता पर, समय-समय पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपबंधित मार्गदर्शक तत्व, नियम, विनियम आदि स्वायत्तता पाने की इच्छूक संस्था को लागू होंगे जिन्हे स्वायत्तता पहले ही प्रदान की जा चुकी है ।

समतुल्यता और योग्यता।

३७. (१) स्वायत्तता दी गई संस्था को, बोर्ड से, उनके पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों लिए समतुल्यता पाना आवश्यक होगा ।

(२) स्वायत्त संस्था, समय समय पर, बोर्ड द्वारा, उनके पाठ्यक्रम, अध्यापन और परिक्षा योजना हेतु अनुमोदन प्राप्त करेगी ।

(३) बोर्ड, ऐसी स्वायत्तता संस्था का प्रत्येक वर्ष में निरीक्षण करेगा।

(४) बोर्ड, स्वायत्त संस्था के सभी अकादामिक निर्धारण और परीक्षा के संबंधित क्रियाकलापों पर जैसे पाठ्यक्रम, अध्यापन, परीक्षा योजना, अध्यापन के घंटे, अकादमिक कार्यक्रम परीक्षा के उपस्थित रहने की विद्यार्थी की योग्यता निर्धारण आदि पर नियंत्रण रखेगा ।

(५) शासी निकाय और स्वायत्त संस्था के अन्य समितियों पर, बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे ।

(६) बोर्ड, किसी प्रमाणपत्र डिप्लोमा, डिप्लोमोतर, एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम की संवीक्षा के आधारपर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर या भारत के बाहर स्थित किसी समतुल्य बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी परीक्षा प्राधिकरण के अधीन किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा लिये जानेवाले किसी ऐसे कार्यक्रम को रोजगार के प्रयोजन के लिए समतुल्यता प्रदान करेगा ।

(७) बोर्ड, जहाँ भी आवश्यक हो, किसी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या भारत के भीतर या बाहर स्थित किसी समतुल्य बोर्ड महाविद्यालय, विशवविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा प्राधिकरण से बोर्ड द्वारा, लिये जानेवाले किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए समतुल्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(८) बोर्ड, किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को दी गई समतुल्यता के आधार पर, योग्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

स्वायत्त दर्जा को वापस लेना।

३८. बोर्ड, शिकायत प्राप्त होनेपर या **स्वप्रेरणा** से जाँच करने के पश्चात् और कारण बताओ सूचना जारी करने द्वारा सुनवाई करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि स्वायत्त प्राप्त संस्था, धारा ३५ और धारा ३६ में यथा उपबंधित शर्तों के अनुपालन करने में असफल हो गई है और समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा विहित उच्च अकादमिक और प्रशासकीय हैसियत प्राप्त करने में असफल हो गई है, तो वह सरकार से, संस्था का स्वायत्तता का दर्जा वापस लेने की सिफारिश करेगा और उसपर सरकार का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

संस्था को बंद करना।

३९. (१) संस्था के किसी प्रबंध मंडल को, सरकार के पूर्वानुमंति के बगैर संस्था को बंद करने की अनुमति नहीं होगी ।

(२) संस्था को बंद करने के इच्छुक प्रबंध मंडल, ऐसी संस्था, सहायता न प्राप्त होने के दायित्व के सभी प्रकार, वित्तीय या अन्यथा समेत तथा ऐसी संस्था के अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारी वृंद से संबंधित निर्णय करने के लिए जिम्मेवार होगी और सरकार या बोर्ड किसी चरणपर ऐसी जिम्मेवारी का दायी नहीं होगा ।

(३) किसी संस्था को बंद करने के इच्छुक प्रबंध मंडल, कारणों के पूर्ण आधारों को कथित करने हुए पूर्ववर्ती वर्ष के अप्रैल के अंतिम दिनांक या के पूर्ण बोर्ड को आवेदन करेगा, सरकार द्वारा या लोक निधि अभिकरणों से इस प्रकार प्राप्त भवन और साज-सामान की अस्तियाँ, मूल लागत, अभिभावी बाजार मूल्य और अनुदान को निर्देशित करेगा ।

(४) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड यह निर्धारित और अवधारित करने के लिए कि संस्था को बन्द की अनुज्ञा दी जाये या न दी जाये, जाँच करवायेगा । बोर्ड यह भीं जाँच कर सकेगा कि आवश्यक सहायता का उपबंध करके या सरकार द्वारा संस्था ग्रहण करके या उसे दूसरे प्रबन्धक वर्ग को हस्तान्तरित करके, बन्दी को टाला जा सकता है या नही ।

(५) यदि बोर्ड बंद किये जाने के सिफारिश करने का विनिश्चय करता है तो वह, नुकसान का परिणाम या प्रबंन्ध वर्ग से वसूल किया जानेवाले प्रतिकर की सीमा और क्या सरकार या लोकनिधिकरण अभिकरण द्वारा उपलब्ध की गई है या नहीं की गई है और छटनी किये गये अध्यापकों और कर्मचारियो को प्रतिकर की अदायगी पर रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को सौपेगा ।

(६) यदि बोर्ड ने सम्बद्ध संस्था को बंद करने की सिफारिश की है तो सरकार, संस्था बंद करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा ।

(७) यदि सरकार, संस्था ग्रहण करने या उसे अन्य प्रबन्ध वर्ग को हस्तास्तरित करने की विनिश्चय करती है तो सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये ।

(८) बन्द किये जाने को चरणों में प्रभावी किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्था मे पहले से संम्मिलित किये गये छात्र प्रभावित न हों और प्रथम वर्ष को पहले बन्द किया जाये और कोई नया प्रवेश नहीं दिया जायेगा । चरणों में बन्द किये जाने की प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाये ।

अध्याय पाँच

निधि, वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

बोर्ड की आस्तियों का इस्तेमाल ।

४०. बोर्ड में निहित समस्त सम्पत्ति, निधि और अन्य अस्तियाँ धारण की जायेंगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन और प्रयोजनों के लिए, उसके द्वारा प्रयुक्त की जायेंगी ।

बोर्ड निधि, उसकी अभिरक्षा और निवेश ।

४१. (१) बोर्ड की अपनी निधि होगी और रकमें उसमें जमा की जायेगी :—

(क) शास्तियों सहित बोर्ड द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस, स्वामित्व और प्रभार ;

(ख) सरकार या अन्यथा द्वारा उसे दिये गये अनुदान, आर्थिक सहायता, अंशदान और वित्तीय सहायता, यदि कोई हो ;

(ग) वसीयत, दान और विन्यास या अन्य अंशदान, यदि कोई हो ;

(घ) उसमें निहित किन्ही प्रतिभूतियों पर, व्याज और लाभांश और विक्रय आगम ;

(ड.) उसमें निहित संपत्ति से समस्त किराया और लाभ ;

(च) बोर्ड द्वारा या तन्निमित्त प्राप्त अन्य घनराशि ।

(२) बोर्ड निम्न निधियाँ स्थापित करेगा, अर्थात् :—

(क) सामान्य निधि ;

(ख) वेतन निधि ; सन् २०१३ का १८।

(एक) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी पदों के लिये ;

(दो) अलग से सभी अन्य पदों के लिये ;

(ग) न्यास निधि ;

(घ) विकास तथा कार्यक्रम निधि ;

(ड.) आकस्मिकता निधि ;

(३) अन्य कोई निधि, जो बोर्ड की राय में स्थापित करने के लिये आवश्यक समझा गया है जिसकी संस्थापना और उपयोग विनियमों द्वारा यथा विहित किया जायेगा ।

(४) निम्न राशियाँ सामान्य निधि का हिस्सा होगी या उसमें से अदा की जायेंगी,—

सन् २०१८ का १८।

(क) राज्य सरकार या कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन निर्गमित सामाजिक जिम्मेवार निधियों से प्राप्त असंदाय, अंशदान या अनुदान ;

(ख) बोर्ड की समस्त आय, चाहे किसी भी साधन से हो, जिसमें फीस, अन्य फीस तथा प्रभारों से हुई आय का समावेश है ;

(ग) सरकार की अनुज्ञा से, बैंकों या कोई अन्य अभिकरणों से उधार ली गई कोई राशि ;

(घ) अन्य किसी स्रोत या अभिकरणों से प्राप्त राशि ।

(५) वेतन तथा भत्ते की संपूर्णत: या अंशत: अदायगी के प्रति राज्य सरकार या किसी अन्य विन्यासों या अंशदान वेतन और भत्तों की पूर्ण या अंशत: अदायगी प्राप्त है, से प्राप्त सभी रकमों से मिलकर वेतन निधि बनेगी । वेतन तथा भत्तों की अदायगी से अन्य किसी प्रयोजनों के लिये, इस निधि से किसी रकम का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।

(६) न्यासों, वसीयतों, दानों, विन्यासों, अभिदानों से प्राप्त समस्त आय तथा राशियाँ तथा उसी प्रकार के अनुदान, न्यास निधि का हिस्सा होगी ।

(७) (क) बोर्ड के विकास तथा कार्यक्रम निधि, राज्य सरकार से प्राप्त समस्त मुलभूत विकास अनुदान किये गये समस्त अंशदान उद्योग, बँक तथा वित्तीय संस्थाएँ या किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अनुदान से मिलकर बनेगी ;

(ख) इस निधि से कोई रकम, बोर्ड की किसी अन्य निधि में विनियोजित या किसी अन्य प्रयोजन के लिये विस्तारित नहीं की जायेगी ;

(ग) विकास तथा कार्यक्रम निधि, कार्यक्रमों के उद्देश्यों से संगततरीत्या इस्तेमाल की जायेगी जिसके लिये शासी परिषद द्वारा मंजूर तथा अनुमोदित की जानेवाली व्यय तथा लेखा संपरीक्षा पर, निधिकरण एजेंसी के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होगी ।

(८) बोर्ड को, अलग लेखा शीर्ष के अधीन बोर्ड की आकस्मिक निधि होगी तथा उसे बनाया रखा जायेगा, जिसका उपयोग केवल किसी अप्रत्यशित व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा ।

(९) इन निधियों में जमा अतिरिक्त रकम, उसके प्रोद्भवन समेत जिसे सद्य या किसी पूर्व दिनांक को, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये उपयोग नहीं किया जा सकेगा, राष्ट्रीयकृत या अनसूचित बैंक में समय-समय पर जमा की जायेगी या राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता रखनेवाले निगम द्वारा जारी किये गये किसी अन्य साम्या या प्रतिभूतियों में निवेशित की जायेगी ।

सन् १९३४ का २। सन् १९४९ का १०।

(१०) बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ में यथा परिभाषित, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक मे जो कि बैंकिग विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या इस निमित्त सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति धारित की है । उसके निधि में से जैसा कि विहित किया जाए ऐसी राशि रखेगा और उक्त राशि से अधिकतम कोई राशि सरकार द्वारा जैसा कि अनुमोदित किया जाए, ऐसी रीत्या में निवेशित करेगा ।

(११) ऐसा लेखा, बोर्ड के ऐसे अधिकारियों द्वारा परिचालित किया जायेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा या इस निमित्त किये गये विनियमों द्वारा, प्राधिकृत किया जाए ।

निधि की आम उप-योजना ।

४२. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड की निधि का उपयोजन केवल इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषयों से आनुषंगिक प्रभारों तथा व्ययों की अदायगी के लिये किया जायेगा ; और ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये, बोर्ड पर इस अधिनियम द्वारा या के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गयी है या कर्तव्य अधिरोपित किये गये हैं ।

निधि कैसे निकाली जायेंगी ।

४३. बोर्ड द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक या प्रत्यय पत्र सिवाय, बोर्ड की निधि में से बैंक द्वारा कोई अदायगीं नहीं की जायेगी ।

जिला कार्यालयों और संस्थाओं को आबंटन ।

४४. बोर्ड, प्रत्येक जिला कार्यालय और संस्था को, समय-समय पर, जिसे बोर्ड अवधारित करे, अपनी अधिकारिता के अंतर्गत कार्यों या विकास योजनाओं को पूर्ण करने कि लिये, बोर्ड द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन करने हेतु जिला कार्यालय और संस्था को धन राशि अदा करेगा ।

वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करना ।

४५. (१) बोर्ड, ऐसे दिनांक से पूर्व और ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाये अगले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा ।

(२) बोर्ड, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट दिनांक को या के बाद अपने द्वारा तैयार किये गये बजट प्राक्कलन पर विचार करेगा और अपने द्वारा यथा अनुमोदित प्राक्कलन सरकार की मंजूरी के लिये, प्रस्तुत करेगा । सरकार, बजट प्राक्कलन के संदर्भ में, ऐसे आदेश पारित करेगी, जैसा कि वह उचित समझे और उसे बोर्ड की संसूचित करेगी। बोर्ड ऐसे,आदेशों को प्रभावी करेगा ।

(३) बोर्ड का वित्तीय वर्ष वैसा ही होगा जैसा राज्य सरकार का होता है ।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा ।

४६. (१) बोर्ड, शासी परिषद द्वारा अनुमोदित वित्तीय विनियमों द्वारा यथाविहित प्रारूप में और ऐसी रिति से लेखा रखेगा ।

(२) बोर्ड का लेखा, बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा ।

(३) सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, बोर्ड के लेखा की संपरीक्षा के लिए विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(४) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, विशेष लेखापरीक्षक, अपना रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति शासी परिषद को अग्रेषित करेगा ।

(५) उप-धारा (२) या (३) के अधीन लेखापरीक्षा का खर्च, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा ।

निरीक्षण और जाँच ।

४७. (१) सरकार, जैसा कि वह बोर्ड को निदेश दे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा बोर्ड से संबद्ध तथा उसे प्रत्यायित किसी संस्था के ऐसे किसी संस्था द्वारा चलाई जा रही शिक्षा या अन्य कार्य से संबंधित भवनों, छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और उपस्कर और बोर्ड की ओर से ली जानेवाली किसी परीक्षा के संचालन का निरीक्षण करवाने, और बोर्ड से संबंधित किसी विषय के बारे में, उसीप्रकार की जाँच करवाने का अधिकार होगा ।

(२) सरकार प्रत्येक प्रकरण में, निरीक्षण या जाँच करवाने के अपने आशय की बोर्ड को उचित सूचना देगी और बोर्ड, को प्रतिनिधि जो उपस्थित रहने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया है, को नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(३) सरकार, बोर्ड को निरीक्षण या जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपने मत संसूचित करेगी और उस पर बोर्ड की राय अभिनिश्चित करने के बाद, उसे ली जानेवाली कार्यवाही के बारे में, परामर्श देगी और ऐसी कार्यवाही की समय-सीमा नियत करेगी ।

(४) संबंधित बोर्ड, निरिक्षण या जाँच के परिणामों पर, उसके द्वारा की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित यदि कोई हो, कार्यवाही की रिपोर्ट, सरकार को देगा । ऐसी रिपोर्ट, उसपर बोर्ड की राय सहित, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि सरकार निदेश दे ।

(५) जहाँ बोर्ड, नियत समय के भीतर, सरकार, के समाधानपर्यंत कार्यवाही नहीं करता है, सरकार, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी करेगी जिसे वह उचित समझे, और बोर्ड, ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

४८. (१) बोर्ड सरकार को, ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और विवरण देगा, जैसा कि सरकार द्वारा अपेक्षित हों और उसके कार्य से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में ऐसी और जानकारी, जैसा कि सरकार माँग करे, देगा । जानकारी विवरणी आदि को द्वारा दी जायेंगी ।

(२) राज्य सरकार, दी गई ऐसी किसी रिपोर्ट, विवरणी या विवरण या जानकारी पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश देगा, जो कि आवश्यक हो, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

अध्याय छह

अनुपूरक और विविध उपबंध ।

४९. इस अधिनियम द्वारा, बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सभी विषय, जो कि विनियमन द्वारा उस बोर्ड द्वारा या समिति को प्रत्यायोजित किये गये है, उस समिति को निर्दिष्ट होंगे, और बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व, प्रश्नगत विषय के बारे में, समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा । समिति की प्रत्ययोजित शक्तियों के प्रयोग की रिति।

५०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड, शासी परिषद के अनुमोदन और बोर्ड के अनुमोदन के साथ उप-विधियों से विनियम बना सकेगा । विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

(२) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्न समस्त या किन्ही विषयों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा २० के अधीन नियुक्त समितियों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य ;

(ख) परीक्षाओं और निर्धारण का विषय और पाठ्यक्रम ;

(ग) परीक्षाओं के लिये नियमित और बाह्य अभ्यर्थियों के प्रवेश को शासित करनेवाले सामान्य प्रतिबंध और पात्रता, उपस्थिति, टर्म और चरित्र संबंधी विशेष प्रतिबंध, जिसके पूरा करने पर, कोई अभ्यर्थी प्रवेश पाने और ऐसी परीक्षा में और निर्धारण बैठने का हकदार होगा ;

(घ) किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिये अपेक्षित अंक और संपूर्ण परीक्षा और किसी विषय में छूट, क्रेडिट और विषय योग्यताएँ ;

(ङ) परीक्षाओं में प्रवेश के लिए फीस और इन परीक्षाओं के निर्धारण, संबद्धता तथा अनुमति से संबंधित अन्य विषयों के बारे में, देय अन्य फीस और प्रभार ;

(च) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और परिणामों का प्रकाशन ;

(छ) परीक्षकों, निर्धारकों की नियुक्ति, उनकी परीक्षाओं और निर्धारणों के संबंध में शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उनका परिश्रमिक और अदायगी की पद्धति ;

(ज) परीक्षकों और निर्धारकों की अर्हताएँ तथा अनर्हताएँ ;

(झ) परिणाम के घोषणा होने के पश्चात् प्रमाणपत्रों और डिप्लोमा का देना ;

(ञ) बोर्ड के अपने या जिला कार्यालय में और अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा संबंधी निबंधन और शर्ते ;

(ट) बोर्ड के वित्त का सभी बारे में, नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा, अभिरक्षा और प्रबंधन ;

(ठ) वह दिनांक जिससें पूर्व और वह रीति जिसके अनुसार बोर्ड अपना बजट प्राक्कलन तैयार करेगा ;

(ड) बोर्ड और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के सदस्यों द्वारा लिया जानेवाला प्रतिकात्मक भत्ता ;

(ढ) सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुचारू परीक्षा और निर्धारण के संचालन के लिये अधिकारियों और कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना तथा उनको भत्ते देना ;

(ण) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति लेने के नए आवेदन की प्रक्रिया मानक और दर्जा नियत करना ;

(त) नई संस्था के मंजूरी देना, विद्यमान संस्था में प्रवेश क्षमता या अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में वृद्धि करना ;

(थ) बोर्ड के अभिलेख सुरक्षित रखना ;

(द) सभी गैर अकादमिक मामले जिसके लिए उपबंध है, शासी परिषद की राय में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है ;

(ध) अन्य कोई विषय जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जायेगा या विहित किया जा सकेगा या इस अधिनियम के अधीन परिभाषित किया जा सकेगा ।

(३) इस धारा के अधीन कोई भी विनियम बनाया नहीं जायेगा जब तक वह सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया जाता है और बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित नहीं किया जाता है।

प्रथम विनियम।

५१. (१) धारा ५० में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम विनियम, सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और बोर्ड द्वारा नविन विनियम सम्यकतया बनाये जाने तक प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(२) यदि किसी समय सरकार को यह प्रतीत हो कि धारा ५० में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में नया विनियम बनाना या धारा ५० के अधीन बोर्ड द्वारा बनाया गया उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी विनियम में रूपभेद करना या पूर्णकतया या अंशतः निरसन करना इष्टकर हैं, तो सरकार, बोर्ड परामर्श करने के बाद और **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे कोई विनियम बनायेगी या ऐसे किसी विनियम को रूपभेदित या तो संपूर्णतः या अंशतः निरसित करेंगी इस प्रकार बनाये गये, रूपभेदित या निरसित किये गये विनियम, ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे, जिसे सरकार ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे या ऐसा कोई दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया, है, तो **राजपत्र** में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे दिनांक के पूर्व कृत कोई बात या करने से विलुप्त किसी बात के बारे में को छोडकर प्रभावी होंगे ।

उप-विधियाँ बनाने की बोर्ड की शक्ति।

५२. (१) निम्न समस्त या किन्हीं विषयों का उपबंध करने के लिए, बोर्ड इस अधिनियम से संगत उप-विधियाँ बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) बोर्ड और उसके द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया और ऐसी बैठकों में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) बोर्ड और उसकी समितियों से पूर्णतया संबंधित अन्य विषय जिनका कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनायी गई उप-विधियाँ बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित की जायेगी।

संदेह के मामले में निर्वचन।

५३. इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं विनियमों या उप-विधियों के उपबंधों के निर्वचन के बारे में, यदि कोई प्रश्न उद्भूत है, तो यह विषय, सरकार के निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जा सकेगा और उस मामले में भी सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा यदि बोर्ड के तीन से अनून सदस्य ऐसी अपेक्षा करते हैं । सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

संस्थाओं का कर्तव्य और उनसे सहायता।

५४. सभी मान्याप्राप्त स्वायत्ता प्रमाणपत्र और डिप्लामा स्तर के संस्था, बोर्ड को ऐसी मदद और सहायता देंगे जिसे बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों के निर्वहन के लिये अपेक्षा करे ।

सद्भावनापूर्वक कार्य करने के लिये संरक्षण।

५५. इस अधिनियम या विनियमों या उप-विधियों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के लिये, सरकार या शासी परिषद या बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी ।

बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होगें ।

५६. बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, कृत्य या कार्य करने के लिये तात्पर्यित होते है, तब भारतीय दंड संहिता की २१ के अर्थान्तर्गत, लोकसेवक समझे जायेंगे । सन् १८६० का ४५।

५७. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्न समस्त या किन्ही मामसों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ६ को उप-धारा (३६) के अधीन बोर्ड के कोई अन्य उद्देश्य ;

(ख) धारा ३९ को उप-धारा (७) के अधीन संस्था हाथ में लेने या उसे अन्य प्रबंधन में अंतरण करने के लिये अपनायी जानेवाली प्रक्रिया ;

(ग) धारा ३९ की उप-धारा (८) के अधीन प्रकट करने के चरण की प्रक्रिया ;

(घ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

५८. (१) विद्यमान बोर्ड की, प्रत्येक समिति, यथासंभव शीघ्र, किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेंगी । व्यावृत्ति।

(२) इस अधिनियम के प्रारंभण से सद्य पूर्व, बोर्ड के निदेशक, सचिव, उप-सचिव, सहायक सचिव परीक्षा नियंत्रक के रुप में, पद धारण करनेवाला कोई व्यक्ति तब तक उक्त पद धारण किये रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त तत्स्थानी अधिकारी अपना संबंधित पदग्रहण नहीं कर लेते है ।

(३) इस अधिनियम के प्रारंभण से सद्य पूर्व, विद्यमान बोर्ड से संबद्ध या मान्यता प्राप्त सभी संस्थाएँ जबतक कि, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, उनकी संबंद्धता और/या मान्यता वापस नहीं ली जाती है या पुनर्विचार नही किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड से संबंद्ध समझी जायेंगे ;

(४) इस अधिनियम के प्रारम्भण से सद्यपूर्व विद्यमान बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद से मान्यताप्राप्त सभी संस्थाओं के विद्यमान छात्र बोर्डद्वारा यथाशेष मान्यताप्राप्त संस्थाओ के छात्र के रूप में निरंतर होंगे ;

(५) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व विद्यमान बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र बोर्ड के शेष मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र निरंतर होंगे ;

(६) इस अधिनियम के प्रारंभण के सद्य पूर्व विद्यमान बोर्ड के किन्हीं विशेषाधिकारों के हकदार अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाएँ, बोर्ड के इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार के विशेषाधिकारों के हकदार समझी जायेंगी ;

(७) विद्यमान बोर्ड द्वारा स्वीकृत और प्राप्त तथा नियत दिनांक के सद्य पूर्व के सद्य पूर्व तदद्वारा धृत समस्त उपकृति इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत, प्राप्त या धृत समझी जायेगी तथा व समस्त शर्तें, जिन पर ऐसी उपकृतियाँ स्वीकार या प्राप्त या धारण की गई थी, इस बात के होते हुए भी कि ये शर्तें इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों से असंगत है, इस अधिनियम के अधीन मान्य समझी जायेंगी ;

(शा.म.मु.) एचबी १६८०—५ (६०५—१२-२०२१)

(८) इस अधिनियम के प्रारंभ से सद्यपूर्व विद्यमान बोर्ड की सभी सम्पत्ति, चल या अचल, तथा सभी अधिकार, और चाहे किसी प्रकार के ब्याज, शक्तियाँ और विशेषाधिकार अंतरणिय होंगे और बोर्ड में निहित होंग और उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अनुप्रयुक्त होंगे, जिसके लिए बोर्ड गठित किया है ।

(९) महाराष्ट्र राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की किसी योजना के संबंध में इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या विद्यमान बोर्ड द्वारा, के साथ या के लिए प्रथम बोर्ड के गठन के पूर्व सभी उपगत बाध्यता, उसमें प्रवेशित सभी संविदा और सभी मामले और किए जाने में व्यस्त कार्य बोर्ड द्वारा, से या के लिए उपगत किए गए हैं, प्रवेशित किए गए है. या किए जाने के लिए व्यस्त हैं ऐसा समझा जायेगा और तद्नुसार, किये गए सभी दावे, वादों या विधिक कार्यवाहीयाँ या जो राज्य सरकार या, यथास्थिति, विद्यमान बोर्ड के द्वारा या के विरुद्ध संस्थित की जाती है तो बोर्ड के द्वारा या के विरुद्ध जारी या संस्थित होगी ।

(१०) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व विद्यमान बोर्ड द्वारा या के विरूद्ध सभी विधिक कार्यवाहियाँ या संस्थित उपायों या प्रवर्तन इस अधिनियम के अधीन यथा स्थापित बोर्ड द्वारा या के विरूद्ध निरंतर संस्थित या यथास्थिति प्रवर्तन में रह सकेगी।

(११) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व उपगत और विद्यमान बोर्ड के प्रति विधितः अस्तित्वमुक्त समस्त ऋण दायित्व और बाध्यताएँ बोर्ड द्वारा उन्मोचित और तुष्ट की जायेंगी ;

(१२) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व बनाई गई कोई विल, विलेख या अन्य दस्तऐवज जिनमें विद्यमान बोर्ड के पक्ष में कोई वसीयत, दान, निबंधन या न्यास किया गया है इस अधिनियम, के प्रारंभ का तथा उनका ऐसा अर्य लगाया जायेंगा मानों कि उनमें विद्यमान बोर्ड के स्थान में बोर्ड का नाम दिया गया है ;

(१३) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व किसी अधिनियमिती या किसी अधिनियमिती के अधीन निर्गमित अन्य लिखितो में विद्यमान बोर्ड का अर्थ ऐसा लगाया जायेगा कि इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रति निर्देश है ;

(१४) आदेशों के अधीन की गई और इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व अस्तित्वयुक्त परीक्षकों की नियुक्ति, इन अधिनियम के अधीन और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बोर्ड के लिये की गई समझी जायेगी और इस अधिनियम के अधीन जब तक परीक्षकों की नई नियुक्तियाँ नहीं की जाती है, तो वह परीक्षक पद धारण किये रहेंगे और उनके कृत्य और कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे ।

(१५) इस अधिनियम के प्रारंभ के सद्य पूर्व विद्यमान बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लागू होनेवाली सेवा नियम इन अधिनियम के अधीन विहित किये गये समझे जायेंगे और इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अतिष्ठित नहीं किया जाता है ;

(१६) इस अधिनियम के प्रारंभ के सद्य पूर्व किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनायी गई या निर्गमित सभी सूचनाएँ और आदेश तथा विद्यमान बोर्ड के आदेश, परिपत्र जहाँतक हो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है प्रवर्तमान बने रहेंगे और ऐसा समझा जायेगा कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गऐ हैं या निर्गमित किये गये हैं।

कठिनाईयों को दूर करना।

५९. इस अधिनियम के उपबधों को प्रभावी करे में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिस्थितिनुसार, किंतु इस अधिनियम के नियत दिन से दो वर्षों को बाद नहीं, आदेश द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से संगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उस कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या ईष्टकर प्रतीत हो ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड शुरू में महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा परीक्षा बोर्ड का अनिवार्य हिस्सा था जो राज्य में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के विनियमन, सहबद्धता और परीक्षा के प्रयोजनों के लिए वर्ष १९६३ में स्थापित किया गया था। वर्ष १९८६ में, महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिक्षण बोर्ड महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा परीक्षा से अलग हो गया। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने अर्धकालिक और पूर्ण कालिक आधार प्रबंधित ६ महीने, १ वर्ष और २ वर्ष कालावधि के २९ विभिन्न क्षेत्रों के अधीन ३२० पाठ्यक्रम वर्तमान में, विनियमित किए है। हाँलाकि १९६५ संस्थाएँ, बोर्ड से सहबद्ध है जो ६२८४० छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता वाले है।

२. महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य में, कौशल विकास और उद्यमीता २०१५ पर राष्ट्रीय नीति और नई शिक्षानीति के कार्यन्वयन अभिकरण के रूप में कार्य करती है। उक्त बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी विनियमित करेगा। सरकार नें, उक्त बोर्ड का महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड के रूप में नाम बदलकर उसे सांविधिक दर्जा देना इष्टकर समझा है।

३. विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :–

(क) बाजार आवश्यकताओं के अनुसार, कुशल रोजगार को प्राप्त करके कौशल, अध्ययन और उद्यमीता भावना से अनुप्रणित सक्षम, कुशल और समर्थ युवाओं को विकसित करना ;

(ख) उद्योग के साथ किसी एकीकृत और समग्र रीत्या में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और कौशल प्रशिक्षण से रोजगार और उद्यमीता को बढाना देना ताकि प्रगति और गतिशिलता का मार्ग सुनिश्चित हो ;

(ग) एनएसक्यूएफ आरेखण अनुवर्ती पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या आरेखण और आवश्यक उद्योग सहभागिता के लिए संस्था-उद्योग पारस्परिक व्यवहार मजबुतीकरण द्वारा समर्पित कौशल परिस्थिति प्रणाली सृजित करना ;

(घ) उद्योग आवश्यकताओं में के बदलाव, कौशल स्थिति में बदलाव, सेवा भूमिका दक्ष आवश्यक बदलाव को समझकर नियमित अंतरारल पर श्रम बाजार का अभ्यास करके तद्नुसार, प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या को ठिक करना ;

(ङ) प्रशिक्षक को प्रशिक्षा कार्यक्रम हाथ में लेने द्वारा अध्यापकों का विद्यमान कौशल उन्नत करना ;

(च) विविध परिस्थिति, आयु समूह और सामाजिक-आर्थिक दर्जा और भौगोलिक स्थान का प्रतिनिधित्व करनेवाले अध्ययन कर्ता को दूरगामी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण और नियोजन अवसरों का उपबंध करना ;

(छ) सुसंगत पाठ्यचर्या आरेखन, कौशल प्रशिक्षण, स्थानन, प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षता, परामर्शी, संयुक्त परियोजना आदि की सुनिश्चिति के लिए प्रवर्तकों, उद्योगों और उद्योग सहयोजन के साथ समन्वयन करना ;

(ज) युवक को उनकी आय को बढाने के लिए रोजगार सरलीकरण द्वारा और स्व-रोजगार मार्गदर्शन का उपबंध करने द्वारा सम्मिलित वृद्धिको बढावा देना, इसप्रकार सम्पोषनीय विकास के लिए सम्मिलित वृद्धि को बढावा देना ;

(झ) स्व-वित्त आधार पर कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संस्था और केंद्रों की अनुमति, सहबद्धता और मान्यता के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उपबंध करना ;

(ञ) मान्यता और संबंधता के प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी अपने हिसाब से पूरी तरह योग्य पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए उपबंध करना ;

(ट) समनुदेश और स्थापना के लिए, जो कौशल प्रदान करने संबंधी आवश्यक मार्गर्शन और समनुदेशन का उपबंध करेगा और छात्र, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कौशल पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् नौकरी का स्थान प्राप्त करने हेतु, प्रस्तुत करना ;

(ठ) राज्य में उच्चतर शिक्षा सुविधाओं के लिए पूर्व अध्ययन, यंत्रणा और श्रेयांक अधिकोषण या अंतरण प्रणाली और सीधे गतिशिलता की सुविधा को बढावा तथा उपबंध करने के लिए समाकलित व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध करना ;

(ड) उद्योग, लोक संगठन, अभिकरणों और संस्थाओं को बडे पैमाने पर अकादमिक, कौशल और संबंद्ध कार्यक्रमों को हाथ में लेने द्वारा और वृत्तिक और विकास सेवाओं का उपबंध करने द्वारा भवन वित्तीय स्व-प्रर्याप्तता के लिए, प्रस्तुत करना ;

प्रस्तुत विधेयक, महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की स्थापना, शासी परिषद, अकादमिक समिति का गठन, वित्त समिति, क्षेत्र कौशल्य समितियों, निर्धारण, परीक्षा और प्रमाणपत्र समिति, प्रत्यायन संबंद्धता और मूल्यांकन समिति की स्थापना के लिए भी उपबंध करता है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ दिसंबर, २०२१।

नवाब मलिक,
कौशल विकास, नियोजन और उद्यमीता मंत्री।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांक २१ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव, अंतर्गस्त है :–

खण्ड १(२).—इस खण्ड के अधीन, सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, वह दिनांक जिस दिनांक पर अधिनियम प्रवृत्त होगा, उसे नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड (३).—इस खण्ड के अधीन, सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना करने की शक्ती प्रदान की गई है।

खण्ड ५(२).—इस खण्ड के अधीन, सरकार को, **पदेन** सदस्य से अन्यथा व्यक्तियाँ, जो बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित की गई है, के नाम और अवधि **राजपत्र**में प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६(३६).—इस खण्ड के अधीन, सरकार को, बोर्ड के किन्ही अन्य उद्देश्यों को विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ७(१).—इस खण्ड के अधीन सरकार को, बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति करने तथा उनका नाम **राजपत्र** में प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ९(१) और (३).—इस खण्ड के अधीन, सरकार को,–

(क) **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, शासी परिषद की स्थापना करने ;

(ख) **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, शासी परिषद के सदस्यों के नाम प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ३९(७) और (८).—इस खण्डो के अधीन, सरकार को,–

(क) संस्था हाथ में लेने या उसे एक अन्य प्रबंधन में अंतरित करने ;

(ख) किसी संस्था के बंद करने के चरणों को प्रभावी करने ;

की प्रक्रिया विहित करना ;

खण्ड ५०.—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड की, अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के प्रयोजनों के लिए विनियम बनाने के शक्ति प्रदान की गई है तथा ऐसे विनियम बोर्ड द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित किए जायेंगे।

खण्ड ५१.—इस खण्ड के अधीन, सरकार को,–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रथम विनियमों को बनाने, जो बोर्ड द्वारा नए विनियमों को सम्यक् बनाने तक निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे ;

(ख) ऐसे विनियमों या तो पूरी तरह या अंशतः उपांतरित या निरसित कोई ऐसे विनियमों यदि किसी समयपर सरकार को यह प्रतीत होता है कि, धारा ५० में निर्देशित किन्ही मामलों के संबंध में, कोई नए विनियमों को बनाना इष्टकर है या यह कि, उप-धारा (१) में निर्देशित कोई विनियमों या धारा ५० के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के या तो संपूर्णतः या अंशतः उपांतरित करना या निरसित करने की शक्ति **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा प्रदान की जाती है।

खण्ड ५२.—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उप-विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और उप-विधियाँ **राजपत्र** में प्रकाशित की जायेंगी।

खण्ड ५७(१).—इस खण्ड के अधीन, सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५९.—इस खण्ड के अधीन, सरकार को इस अधिनियम के प्रारम्भण से दो वर्षो की अवधि के भीतर कोई कठिनाई जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत होती है, का **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा निराकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित उपबंध सामान्य स्वरुप के है।

मुंबई,

दिनांकित २१ दिसंबर २०२१।

नवाब मलिक,

कौशल विकास, नियोजन और उद्यमीता मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक, महाराष्ट्र कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रसिक्षण बोर्ड की स्थापना और निगम के लिए उपबंध करता है। उक्त बोर्ड को सुचारू कार्य के लिए व्यय और उसके कर्मचारिवृंद की अदायगी और वेतन समेकित निधि और उक्त बोर्ड की आय जैसे की उक्त बोर्ड द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार अनुदान, ऋण आदि से प्राप्त हो जायेगा।

बोर्ड में नियुक्त सरकारी कर्मचारीयों के वेतन और भत्तों के लिए लगभग तीन करोड, छप्पन लाख का वार्षिक आवर्ती व्यय, विधानमंडल किसी अधिनियम के रूप में विधेयक के अधिनियमितिकरण पर राज्य के समेकित निधि में से उपगत किया जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई